[2018] 2 एस. सी. आर 679

जयंत वर्मा और हमारा।

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2013 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 134)

फरवरी 16,2018

[आर. एफ. नरीमन और नवीन सिन्हा, जे. जे.]

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - s.21A s. 21 एक संवैधानिक वैधता-आयोजितः s.21A वैध है क्योंकि यह एक अधिनियम का हिस्सा है जो, सार और सार में, संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 45, सूची I से संबंधित है-हालांकि, जहां तक एस। 21 एक संयोग से प्रविष्टि 30, सूची 2 में उल्लिखित कृषि ऋण राहत के क्षेत्र में अतिक्रमण करने पर यह केवल उन राज्यों में लागू नहीं होगा जहां राज्य ऋण राहत अधिनियम है जो कृषि ऋण राहत के विषय से संबंधित है, जहां राज्य ऋण राहत अधिनियम "बैंकों" के कारण ऋणों को शामिल करता है, जैसा कि उन अधिनियमों में परिभाषित किया गया है-उन राज्यों में जहां राज्य ऋण राहत अधिनियम बैंकों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है, या केवल कुछ निर्दिष्ट बैंकों पर लागू होता है। s.21A, पूर्व स्थिति में, ऐसे राज्यों में लागू होगा, और बाद की स्थिति में, केवल किसानों को दिए गए ऋणों के संबंध में लागू होगा, जहां ऐसे ऋण संबंधित राज्य ऋण राहत अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट या कवर किए गए बैंकों के अलावा अन्य बैंकों द्वारा दिए जाते हैं, जैसा भी मामला हो-भारत का संविधान-सातवीं अनुसूची सूची I प्रविष्टि 45-न्यायिक समीक्षा

ब्याज ऋण अधिनियम, 1918-राज्य ऋण राहत विधान।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949। 21 ए-गैर-वस्तुनिष्ठ खंड की व्याख्या-चाहे एस। 21 ए को प्रबल कहा जा सकता है

दोनों के बीच टकराव की स्थिति में राज्य ऋण राहत अधिनियम-आयोजितः जहाँ तक कृषि ऋण की राहत का संबंध है, जहाँ

एक ही विषय पर राज्य का कानून है जो सीधे एस के साथ टकराव करता है। 21 ए, s.21A को राज्य ऋण राहत अधिनियम को रास्ता देना होगा जहाँ तक बैंकों के कारण कृषि ऋण से राहत का संबंध है-s में गैर-बाधा खंड। 21 ए इस स्थिति में राज्य ऋण राहत अधिनियम को दरकिनार नहीं कर सकता है, क्योंकि संसद राज्य विधान पर खुद को सर्वोच्चता नहीं दे सकती है, जहां संविधान के तहत कोई भी मौजूद नहीं है-यदि ऐसा नहीं होता है, तो सूची II के भीतर कानून बनाने की राज्यों की अनन्य शक्ति भ्रामक हो जाएगी, और "संसदीय सर्वोच्चता" अपने अनन्य क्षेत्र के भीतर बनाए गए कई लाभकारी राज्य कानूनों को फँसा देगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत का संविधान सातवीं अनुसूची, सूची II, प्रविष्टि 30 प्रविष्टि की व्याख्या 30-अभिव्यक्ति "कृषि की राहत" ऋण "प्रविष्टि 30 सूची II में इससे पहले की अभिव्यक्ति" धन उधार देने वाले और साहूकार "से रंग नहीं लेता है दोनों अभिव्यक्तियों को एक अर्धविराम द्वारा अलग किया गया है जो दर्शाता है कि

वे अटूट रूप से जुड़े नहीं हैं-इस प्रकार, धन ऋण कृषि क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके दायरे में विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक लेनदेन सहित सभी व्यक्तियों को दिया गया धन भी शामिल है-संविधान की व्याख्या।

भारत का संविधान-सातवीं अनुसूची, सूची I, प्रविष्टि 45 बैंकिंग-चाहे एस। 21 बैंकिंग विनियमन अधिनियम में दरारें

प्रविष्टि 30, सूची II-आयोजितः सार और सार में, बैंकिंग विनियमन अधिनियम प्रविष्टि 45, सूची I के अंतर्गत आता है, लेकिन जहां तक कृषि ऋण की राहत का संबंध है, s.21A निश्चित रूप से प्रविष्टि 30, सूची II-बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 पर खाई है। 21 ए-पीठ और पदार्थ का सिद्धांत।

भारत का संविधान-सातवीं अनुसूची, सूची I, प्रविष्टि 45; सूची II प्रविष्टि 18 और 30-कृषि ऋण से राहत

कृषि ऋण और बैंकिंग-कैसे वे सभी विभिन्न प्रविष्टियों के अंतर्गत आते हैं-आयोजितः प्रविष्टि 45, सूची I के तहत सामान्य प्रविष्टि "बैंकिंग", जो सभी प्रकार के बैंकों और बैंकों द्वारा ऋण देने के साथ-साथ आम तौर पर बैंकों द्वारा ऋण की वसूली से संबंधित है, प्रविष्टि 30, सूची II, जो कृषि ऋण की राहत से संबंधित है, विशेष है, क्योंकि ऋण स्वयं बैंकिंग की केवल एक प्रजाति है और कृषि ऋण इसकी एक उप-प्रजाति है-ऋण की प्रजाति प्रविष्टि 45, सूची I के भीतर है, जबकि कृषि ऋण की उप-प्रजाति प्रविष्टि 18, सूची II के भीतर है-यह केवल है

कृषि ऋण की राहत, जो ऋण की एक उप-उप-प्रजाति है, जो प्रविष्टि 30, सूची II से संबंधित है।

भारत का संविधान-Art.246-संघीय सर्वोच्चता

पीठ और पदार्थ का सिद्धांत-आकस्मिक खाई और खाली क्षेत्र का सिद्धांत-एक बार दोनों प्रविष्टियों के क्षेत्रों यानी राज्य सूची प्रविष्टि और संघ सूची प्रविष्टि का चित्रण हो जाने के बाद, पीठ और पदार्थ का सिद्धांत यह परीक्षण करने के लिए आता है कि क्या कोई विशेष कानून समग्र रूप से, सूची I में एक प्रविष्टि के लिए या सूची II में प्रतिस्पर्धी प्रविष्टि के लिए संदर्भित है-एक बार जब यह पाया जाता है कि समग्र रूप से कानून सूची I में एक प्रविष्टि के लिए संदर्भित है, लेकिन यह संयोग से जयंत वर्मा और ओआरएस का अतिक्रमण करता है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

सूची II में एक प्रविष्टि पर, खाली क्षेत्र के सिद्धांत के लिए संघीय कानून पर लागू नहीं होने का कोई कारण नहीं है-अभिव्यक्ति

" "के संबंध में Art.246 के सभी उप-लेखों में दिखाई देता है, जो

अभिव्यक्ति, जहाँ तक उप-अनुच्छेद (1) से (3) का संबंध है, आकस्मिक खाई खोदने और खाली क्षेत्र के दोहरे सिद्धांतों को दर्शाती है,

इसलिए, जो Art.246 के उप-अनुच्छेद (1) से (3) के तहत बनाए गए कानून पर लागू होता है, इस प्रकार यह स्पष्ट करता है कि संसद द्वारा आकस्मिक अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है जब राज्य विधानमंडल को आवंटित विशेष क्षेत्र खाली नहीं है-सर्वोपरि

Art.246 में निहित सिद्धांत को सामंजस्यपूर्ण निर्माण विफल होने के बाद ही अंतिम उपाय के रूप में लिया जाता है, और वह भी, प्रतिस्पर्धी सूचियों में क्या प्रविष्टियां-एक बार जब कानून एक या दूसरी सूची के लिए संदर्भित किया जाता है, तो आकस्मिक खाई और खाली क्षेत्र का सिद्धांत।

संसदीय और राज्य दोनों विधानों पर समान रूप से लागू होगा।

संविधान की व्याख्या-सामंजस्यपूर्ण निर्माण

सूची I की प्रविष्टि 45 और प्रविष्टि 30 सूची II का सामंजस्य कैसे किया जाए

-

Art.246 का दायरा-जहाँ संघ सूची और राज्य सूची में दो प्रविष्टियाँ हैं

अपरिवर्तनीय हैं-आयोजितः Art.246 केवल यह बताता है कि जहां संघ सूची और राज्य सूची में क्रमशः दो प्रविष्टियों में टक्कर होती है और वे अपरिवर्तनीय होती हैं, तो अंतिम उपाय के रूप में, इसमें प्रवेश किया जाता है।

राज्य सूची संघ सूची में प्रविष्टि को रास्ता देने के लिए है-लेकिन, यह केवल एक अंतिम उपाय के रूप में है-सबसे पहले, यह न्यायालय पर बाध्यकारी है कि

यदि संभव हो तो दोनों प्रविष्टियों को लागू करके और उनमें से किसी को भी अनुचित न बताकर प्रविष्टियों में सामंजस्य स्थापित करें-भारत का संविधान Art.246

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - s.21A।

पूर्ववर्ती-बाध्यकारी प्रभाव-अनुपात निर्धारण-जहाँ कोई बात हो

प्रत्यर्थी द्वारा बिल्कुल भी तर्क नहीं दिया जाता है, और निर्णय उलट है, यह कहना खतरनाक होगा कि कानून को तथ्यों और कानून के एकतरफा मूल्यांकन पर घोषित किया जा सकता है, जैसा कि प्रदर्शित किया गया है।

केवल अपीलार्थी के वकील द्वारा न्यायालय के समक्ष-इसके अलावा, जहां उच्च न्यायालय का कई प्राधिकरणों के साथ व्यवहार करने वाला एक विस्तृत निर्णय है, और उनमें से किसी के साथ व्यवहार किए बिना इसे एक गुप्त तरीके से उलट दिया जाता है, प्रति इनक्यूरियम सिद्धांत शुरू हो जाता है, और निर्णय बाध्यकारी बल खो देता है, क्योंकि यह जिस तरह से विचाराधीन कानून के प्रस्ताव से संबंधित है-साथ ही, अनुपात

किसी निर्णय का निर्णय न्यायाधीश के तर्क की रेखा को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया कानून का सिद्धांत है जो केवल इस पर निर्भर करता है -

भविष्य के मामले-ऐसा सिद्धांत केवल [2018] 2 एस. सी. आर. के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है।

यदि केवल एक पक्ष की सुनवाई की जाती है और निर्णय को उलट दिया जाता है, बिना किसी तर्क के, और केवल कुछ निष्कर्षों पर पहुंचा जाता है, तो प्रासंगिक प्रावधानों और विषय पर मामले की कानून की चर्चा,

किसी भी मामले के कानून के संदर्भ के बिना, ऐसा निर्णय शीर्ष अदालत पर बाध्यकारी नहीं होगा-भारत का संविधान-अनुच्छेद। 141 -

प्रति इनक्यूरियम का सिद्धांत।

अदालत ने

पकड़नाः 1. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम "बैंकिंग" विषय से संबंधित है क्योंकि यह बैंकिंग कंपनियों, जैसा कि परिभाषित किया गया है, और सहकारी बैंकों को लाइसेंस देता है, और उन्हें विनियमित करना चाहता है। धारा 21 ए, हालांकि संशोधन के माध्यम से, निस्संदेह इस अधिनियम का एक अभिन्न अंग है जो एक बैंकिंग कंपनी और उसके देनदार के बीच ऋण लेनदेन को फिर से खोलने पर प्रतिबंध से संबंधित है, इस आधार पर कि ब्याज की दर अत्यधिक है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एक बैंकिंग कंपनी के लिए एक देनदार के ऋण से संबंधित एक कानून और

ऐसे किसी भी लेन-देन को फिर से खोलने के खिलाफ अदालत का निर्णय, इस आधार पर कि बैंकिंग कंपनी द्वारा लिया गया ब्याज अत्यधिक है, बैंकिंग के व्यवसाय से संबंधित होगा। प्रविष्टि 45, सूची I में निहित "बैंकिंग" अभिव्यक्ति का व्यापक अर्थ दिया जाना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समग्र रूप से क़ानून और उक्त धारा प्रविष्टि 45, सूची I के अंतर्गत आती है। धारा 21 ए का प्रभाव ब्याज ऋण अधिनियम और सभी राज्य ऋण राहत अधिनियमों को नुकसान से बाहर करना है। सूदखोर ऋण अधिनियम 1918 में अधिनियमित किया गया था; इसका उद्देश्य भारत में न्यायालयों को अनुचित सूदखोर अनुबंध [पैरा 11,12] [708-जी-एच; 709-ए-सी] से संबंधित मामलों में एक न्यायसंगत अधिकार क्षेत्र प्रदान करना था।

रुस्तम कावासजी कूपर (बैंकों का राष्ट्रीयकरण) बनाम। भारत संघ (1970) 1 एस. सी. सी. 248 [1970] 3 एस. सी. आर. 530; भारत संघ बनाम। दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन। ,

(2002) 4 एससीसी 275: [2002] 2 एससीआर 450; प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम। बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड, खुलना,

ए. आई. आर. 1947 पी. सी. 60; विरेंद्र पाल सिंह बनाम। जिला। अस्स्टेट। पंजीयक, कॉप। समितियाँ (1980) 4 एस. सी. सी. 109;

हरीश तारा रिफ्रैक्टरीज (पी) लिमिटेड बनाम प्रमाणपत्र अधिकारी, सदर रांची, (1994) 5 एस. सी. सी. 324-पर भरोसा किया।

जयंत वर्मा और हमारा। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

2. अदालतों को अन्य बातों के साथ-साथ कई कारकों पर विचार करते हुए ब्याज दरों को कम करने के लिए बहुत व्यापक शक्तियां दी गई हैं।

जिसमें ऋणी की वित्तीय स्थिति भी शामिल है। राज्य ऋण राहत अधिनियम, और भी आगे जाते हैं और न केवल ब्याज की अत्यधिक दरों को कम करने से संबंधित हैं, बल्कि कुछ मामलों में, अनुदान भी देते हैं पूर्ण या आंशिक रूप से ब्याज और पूर्ण या आंशिक रूप से ऋण की मूल राशि की माफी। राज्य ऋण राहत अधिनियम संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 30, सूची II के तहत वैध रूप से बनाए गए हैं। [पैरा 13] [711-जी-एच; 712-ए-बी]

फतेहचंद हिम्मतलाल और अन्य। वी. महाराष्ट्र राज्य आदि (1977) 2 एस. सी. सी. 670 [1977] 2 एस. सी. आर. 828; पथुम्मा और ओआरएस। वी. केरल राज्य और अन्य। (1978) 2 एससीसी 1:

[1978] 2 एस. सी. आर. 537-- पर भरोसा किया गया।

ऋण देने वाले और साहूकार "प्रविष्टि 30, सूची II में इससे पहले सातवीं अनुसूची को कई कारणों से स्वीकार नहीं किया जाता है। सबसे पहले, विशुद्ध रूप से व्याकरणिक रूप से, एक अर्धविराम दोनों अभिव्यक्तियों को अलग करता है जो दर्शाता है कि वे अटूट रूप से जुड़े नहीं हैं। सबसे चौड़ा

और सबसे उदार संभव अर्थ सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 30, सूची II को दिया जाना चाहिए। इस प्रविष्टि का अंतिम भाग

इसे किसी भी समाज द्वारा संकुचित नहीं किया जा सकता है, या प्रविष्टि के पूर्व भाग से रंग लिया जा सकता है। वास्तव में, संविधान के समय विभिन्न राज्य अधिनियम पहले से ही अस्तित्व में थे, जो साहूकार के दृष्टिकोण से कृषि ऋण की राहत के विषय से संबंधित थे। संविधान द्वारा पहली बार "कृषि ऋण से राहत" विषय को जोड़ने से कृषि क्षेत्र को राहत मिलेगी।

ऋण न केवल साहूकारों से, बल्कि बैंकों सहित ऋण देने वाले सभी व्यक्तियों से भी। अन्यथा,

"कृषि ऋण की राहत" विषय वस्तु को "धन उधार देने वाले और साहूकारों" के भीतर समाहित कर लिया गया होगा और इसे "धन उधार देने वाले और साहूकारों" से अलग और अलग विषय वस्तु के रूप में जोड़ना पूरी तरह से अनावश्यक होगा। यह कि "धन उधार और साहूकार" "कृषि ऋण की राहत" से अलग और अलग हैं, इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि धन उधार कृषि क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, [2018] 2 एस. सी. आर.

जिसमें विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक लेनदेन शामिल हैं। इसके अलावा, सातवीं अनुसूची में कई विषय हैं जो एक प्रविष्टि में निहित हैं, लेकिन जो अलग-अलग मामलों से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए प्रविष्टि 5, सूची III सात पूरी तरह से अलग-अलग विषयों से संबंधित है, जो सभी प्रविष्टि 5 के तहत एक साथ बंधे हैं और अर्धविराम द्वारा अलग किए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक विषय वस्तु प्रत्येक अर्धविराम से अलग और अलग है। इसलिए, वैकल्पिक याचिका कि "कृषि ऋण की राहत" अन्यथा एक अलग प्रविष्टि में होगी। इसलिए, स्वयं भी अस्वीकार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कृषि ऋण से राहत का उद्देश्य किसान को कर्ज से मुक्त करना है।

प्रतिकूल प्राकृतिक कारणों के कारण उपार्जित ऋणों के बंधपत्र और प्रतिकूल प्राकृतिक कारणों के मामले में ऋण राहत आवश्यक होगी, जो भी ऋण का स्रोत हो। [पैरा 15] [713 सी-एफ; 714-ए-ई]

होक्स्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम। बिहार राज्य

(1983) 3 एस. सी. आर. 130; सुधीर चंद्र नोन बनाम। डब्ल्यूटीओ (1969) 1 एस. सी. आर. 108 पर निर्भर था।

टकराव और अपरिवर्तनीय हैं, फिर, एक अंतिम उपाय के रूप में, प्रवेश राज्य सूची संघ सूची में प्रविष्टि के लिए रास्ता देती है। लेकिन, यह केवल अंतिम उपाय है। सबसे पहले, न्यायालय पर यह दायित्व है कि यदि संभव हो तो दोनों प्रविष्टियों को लागू करके और उनमें से किसी एक को अप्रासंगिक न बनाकर प्रविष्टियों में सामंजस्य स्थापित किया जाए। [पैरा 16] [717-एफ-जी]

कलकत्ता गैस कं. (स्वामित्व) लिमिटेड बनाम। राज्य डब्ल्यू. बी. [1962] 3 सप्लीमेंट। एस. सी. आर. 1; सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम रवींद्र (2002) 1 एस. सी. सी. 367: [2001] 4 पूरक। एस. सी. आर. 323; वेवर्ली जूट मिल्स कं. लिमिटेड v. रेमन एंड कंपनी (इंडिया) (पी) लिमिटेड, [1963] 3 एस. सी. आर. 209-पर निर्भर था।

5. प्रविष्टि 45, सूची I के तहत सामान्य प्रविष्टि "बैंकिंग", जो सभी प्रकार के बैंकों और बैंकों द्वारा ऋण देने से संबंधित है

साथ ही आम तौर पर बैंकों द्वारा ऋणों की वसूली, प्रविष्टि 30, सूची II, जो कृषि ऋण की राहत से संबंधित है, विशेष है, क्योंकि ऋण स्वयं बैंकिंग की केवल एक प्रजाति है और कृषि ऋण इसकी एक उप-प्रजाति है।

जयंत वर्मा और हमारा। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

ऋण की प्रजातियाँ प्रविष्टि 45, सूची I में हैं, जबकि कृषि ऋण की उप-प्रजातियाँ प्रविष्टि 18, सूची II में हैं। यह केवल कृषि ऋण से राहत है, जो एक ऋण की उप-उप-प्रजातियाँ, जो प्रविष्टि 30, सूची II से संबंधित हैं। जहाँ तक कृषि का संबंध है, संवैधानिक योजना है -

संबंधित, यह है कि यह एक अपवाद के अधीन एक अनन्य राज्य है-कि संपत्ति की अभिरक्षा, प्रबंधन और निपटान, जिसे कानून द्वारा निकासी संपत्ति घोषित किया गया है, में कृषि भूमि शामिल है, और इसे एक समवर्ती विषय बनाता है। इस मामले में, दोनों प्रविष्टियों को दोनों को प्रभाव देकर सबसे अच्छा सामंजस्य बनाया जाता है। यह तभी किया जा सकता है जब कृषि ऋण की राहत सहकारी और अन्य दोनों बैंकों को शामिल करना हो। प्रविष्टि 18, सूची 2 राज्यों को "भूमि सुधार और विकास" पर कानून बनाने की विशेष शक्ति देती है।

कृषि ऋण "। प्रविष्टि 45, सूची I बरकरार रहेगी और रहेगी।

इससे कृषि ऋण से राहत मिली है, जो ऋण की एक उप-उप-प्रजाति है, जो अपने आप में बैंकिंग के कई पहलुओं में से एक है। सार और सार में, बैंकिंग विनियमन अधिनियम प्रविष्टि 45, सूची I के अंतर्गत आता है, लेकिन जहां तक कृषि ऋण की राहत का संबंध है, धारा 21 ए निश्चित रूप से प्रविष्टि 30, सूची II पर खाई डालती है, जिसे ऊपर बताए गए तरीके से पढ़ा जाता है। जैसा कि अच्छी तरह से तय किया गया है, पीठ का सिद्धांत और

सार केवल एक विधान को समग्र रूप से देखने और यह देखने के लिए है कि क्या, समग्र रूप से, यह सातवीं अनुसूची की सूची I या सूची II की एक या दूसरी प्रविष्टि के भीतर आता है। जबकि इस प्रकार समग्र रूप से एक सूची के भीतर आता है, एक विधानमंडल द्वारा अधिनियमित एक विशेष अधिनियम के कुछ प्रावधान संयोग से एक निषिद्ध क्षेत्र पर खाई डाल सकते हैं।

विशेष रूप से किसी अन्य विधानमंडल को दिया गया। [पारस 19,20,22] [722 बी-डी; 725-एफ-एच; 726-सी-डी]

सुब्रमण्यन चेट्टियार बनाम। मुत्तुस्वामी गौंडन

ए. आई. आर. 1941 एफ. सी. 47; कनाडा के लिए महान्यायवादी बनाम। ब्रिटिश कोलंबिया के लिए महान्यायवादी 1930 ए. सी. 111

संदर्भित किया गया।

फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स बनाम। भारत संघ (1989) 3 एससीसी 634 [1989] 2 एससीआर 918

अप्रयोज्य रखा गया।

6. एक बार जब दोनों प्रविष्टियों यानी राज्य सूची प्रविष्टि और संघ सूची प्रविष्टि के क्षेत्रों को चित्रित कर दिया जाता है, तो पीठ [2018] 2 एस. सी. आर. का सिद्धांत।

जहाँ तक उप-अनुच्छेद (1) से (3) का संबंध है, कौन सी अभिव्यक्ति आकस्मिक खाई खोदने और खाली रखने के दोहरे सिद्धांतों को दर्शाती है क्षेत्र, जो इसलिए अनुच्छेद 246 के उप-अनुच्छेद (1) से (3) के तहत बनाए गए विधान पर लागू होता है, इस प्रकार यह स्पष्ट करता है कि संसद द्वारा आकस्मिक अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है जब -

राज्य विधानमंडल को आवंटित विशेष क्षेत्र खाली नहीं है। अनुच्छेद 246 में निहित सर्वोपरि सिद्धांत को ही लिया गया है।

सामंजस्यपूर्ण निर्माण विफल होने के बाद एक अंतिम उपाय के रूप में, और वह भी, प्रतिस्पर्धी सूचियों में क्या प्रविष्टियाँ। एक बार जब कानून एक या दूसरी सूची के लिए संदर्भित हो जाता है, तो आकस्मिक खाई और खाली क्षेत्र का सिद्धांत संसदीय और राज्य दोनों विधानों पर समान रूप से लागू होगा। [पारस 28 और 29] [730-डी-एच]

आर. ई. सी. पी. और बेरार सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट एंड लुब्रिकेंट्स टैक्सेशन एक्ट 1938 ए. आई. आर. 1939 एफ. सी. 1; यूको बैंक बनाम। दीपक देबबर्मा (2017) 2 एस. सी. सी. 585 [2016] 11 एस. सी. आर. 723; 2001 (2004) का विशेष संदर्भ संख्या 1 4 एस. सी. सी. 489: [2004] 3 एस. सी. आर. 534-संदर्भित।

7. जहाँ बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 21 ए

जहां तक कृषि ऋण की राहत का संबंध है, प्रविष्टि 30, सूची 2 के तहत अधिनियमित राज्य ऋण राहत अधिनियमों पर संयोग से खाई, जहां उसी विषय पर राज्य का कानून है जो सीधे धारा 21 ए से टकराता है, धारा 21 ए को राज्य ऋण राहत अधिनियमों को रास्ता देना होगा जहां तक बैंकों के कारण कृषि ऋण से राहत का संबंध है। धारा 21 ए में गैर-बाध्यकारी खंड इस स्थिति में राज्य ऋण राहत अधिनियम को ओवरराइड नहीं कर सकता है, क्योंकि संसद खुद को नहीं दे सकती है। राज्य विधान पर सर्वोच्चता जहां कोई भी इसके तहत मौजूद नहीं है

संविधान। [पैरा 32] [734-ई-एफ; 735-ए-बी]

8. यासंगी वेंकटेश्वर राव में समर्थन में बिना किसी स्पष्ट तर्क के निष्कर्षों की श्रृंखला को एक साथ रखा गया था।

यह जयंत वर्मा और हमारा था। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

शायद इसलिए कि केवल अपीलार्थी ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और मामले में तर्क दिया। यद्यपि प्रतिवादी सेवा में उपस्थित नहीं हुआ और परिणामस्वरूप उसे नहीं सुना गया। कानून स्पष्ट है कि जहां प्रत्यर्थी द्वारा किसी मामले पर बहस नहीं की जाती है, और निर्णय उलट है, तो यह कहना खतरनाक होगा कि कानून को तथ्यों और कानून के एकतरफा मूल्यांकन पर घोषित किया जा सकता है, जैसा कि केवल अपीलार्थी के वकील द्वारा अदालत के समक्ष प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा, जहां उच्च न्यायालय का कई प्राधिकरणों के साथ व्यवहार करने वाला एक विस्तृत निर्णय है, और उनमें से किसी के साथ व्यवहार किए बिना इसे एक गुप्त तरीके से उलट दिया जाता है, तो प्रति इनक्यूरियम सिद्धांत शुरू हो जाता है, और निर्णय बाध्यकारी बल खो देता है, क्योंकि यह जिस तरह से विचाराधीन कानून के प्रस्ताव से संबंधित है। इन परिस्थितियों में, यासंगी वेंकटेश्वर राव का फैसला इस विषय पर कानून बनाने से नहीं रोक सकता है। [पैरा 43] [742-जी-एच; 743-ए]

दलबीर सिंह बनाम। पंजाब राज्य [1979] 3 एससीआर 1059;

सोम प्रकाश रेखी बनाम भारत संघ

[1981] 2 एस. सी. आर. 111; सुभाजीत तिवारी बनाम। भारत संघ

[1975] 3 एस. सी. आर. 616; नगर निगम। दिल्ली बनाम।

वर्णम कौर (1989) 1 एस. सी. सी. 101: [1988] 2 पूरक।

भारतीय स्टेट बैंक, पुनः, ए. आई. आर. 1986 ए. पी. 291; भारतीय स्टेट बैंक बनाम यासंगी वेंकटेश्वर राव

(1999) 2 एस. सी. सी. 375 [1999] 1 एस. सी. आर. 212 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

[1977] 2 एससीआर 828

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

[1978] 2 एससीआर 537

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

संदर्भित किया गया है

आकाशवाणी 1986 एपी 291

पै

रा 4

[1999] 1 एस. सी. आर. 212

पै

रा 4

संदर्भित किया गया है

[1970] 3 एससीआर 530

उस पर भरोसा करें

पै

रा 8

[2002] 2 एससीआर 450

उस पर भरोसा करें

पै

रा 8 [2018

उस पर भरोसा करें

पा.

आकाशवाणी 1947 पी. सी. 60

(1980) 4 एस. सी. सी 109

उस पर भरोसा करें

पा.

(1994) 5 एस. सी. सी. 324

उस पर भरोसा करें

पा.

(1983) 3 एससीआर 130

उस पर भरोसा करें

पा.

(1969) 1 एससीआर 108

उस पर भरोसा करें

पा.

[1962] 3 पूरक। एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पा.

[2001] 4 पूरक। एससीआर 323

उस पर भरोसा करें

पा.

[1963] 3 एससीआर 209

उस पर भरोसा करें

पा.

संदर्भित किया गया है

एयर 1941 एफ. सी. 47

पा.

[1989] 2 एससीआर 918

अप्रयोज्य रखा गया

पा.

संदर्भित किया गया है

पा.

1938 ए. आई. आर. 1939 एफ. सी. 1

[2016] 11 एससीआर 723

संदर्भित किया गया है

पा.

[2004] 3 एससीआर 534

संदर्भित किया गया है

पा.

[1979] 3 एससीआर 1059

उस पर भरोसा करें

पा.

[1981] 2 एससीआर 111

उस पर भरोसा करें

पा.

[1975] 3 एससीआर 616

उस पर भरोसा करें

पा.

[1988] 2 पूरक। एससीआर 929

उस पर भरोसा करें

पा.

[2011] 6 एससीआर 443

उस पर भरोसा करें

पा.

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः पेटिटी लिखें

2013 का सं. 134।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

संजय पारिख, अभिमन्यु श्रेष्ठ, परमानंद पान

अपीलार्थियों के लिए।

जयंत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री शिरीन खजुरिया, एम.

सुश्री आशा जी. नायर, राज बहादुर, सुश्री संस्कृति भारद्वाज, आई.

गौर, एस. ए. हसीब, विकास बंसल, सुश्री अनिल कटियार, सुश्री सु एच. एस. परिहार, कुलदिप परिहार, तुषार भूषण, अधिवक्ता उत्तरदाता।

जयंत वर्मा और हमारा। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे. 1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक जनहित याचिका के माध्यम से एक रिट याचिका, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 ए की संवैधानिक वैधता पर जोर देती है। उपरोक्त खंड को बैंकिंग में शामिल किया गया था

15.2.1984 से प्रभावी 1983 के बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम द्वारा विनियमन अधिनियम। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 21 ए में कहा गया है निम्नानुसारः

ब्याज ऋण अधिनियम, 1918 (1918 का 10) या किसी भी राज्य में लागू ऋण से संबंधित किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक बैंकिंग कंपनी और इसके देनदार को किसी भी अदालत द्वारा इस आधार पर फिर से नहीं खोला जाएगा कि बैंकिंग कंपनी द्वारा इसके संबंध में ब्याज की दर -

इस तरह का लेन-देन अत्यधिक है।

2. यह देखा जाएगा कि धारा 21 ए एक बैंकिंग कंपनी और उसके देनदार के बीच ऋण के अदालतों द्वारा फिर से खोलने पर रोक लगाती है, इस आधार पर कि बैंकिंग कंपनी द्वारा ब्याज की दर, एक के संबंध में ऋण लेनदेन अत्यधिक है। यह धारा ब्याज ऋण अधिनियम, 1918 और/या ऋण से संबंधित किसी अन्य राज्य कानून को नुकसान के रास्ते से दूर रखने का प्रयास करती है, और फिर घोषणा करती है कि किसी भी अदालत द्वारा अत्यधिक ब्याज दरों के प्रभार के आधार पर ऐसा कोई ऋण लेनदेन फिर से नहीं खोला जाएगा। रिट याचिका कुछ जन उत्साही नागरिकों द्वारा दायर की गई है, जो यह कहने के लिए वर्ष के लिए कृषि पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट पर भरोसा करते हैं कि धारा 21 ए को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, जहां तक यह ग्रामीण ऋण पर लागू होता है। स्थायी समिति की रिपोर्ट इस प्रकार हैः

" समिति का मानना है कि किसानों का सबसे बुरा शोषण वित्तीय संस्थानों की प्रतिकूल ऋण नीतियों के माध्यम से होता है जो किसानों को ऋण के बोझ तले भुखमरी और आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती हैं। समिति ने पाया कि 1918 में, अंग्रेजों ने ब्याज ऋण अधिनियम पारित किया जिसमें प्रावधान था कि कोई भी किसान ऋण नहीं ले सकता था।

अधिकृत दर से अधिक ब्याज की दर वसूल की जाती थी-जो उस समय 5.5 प्रतिशत थी, और यदि आरोप लगाया जाता है, तो मामला अदालत में फिर से खोला जा सकता था और पूरे खाते का फिर से निपटारा किया जा सकता था।

ब्याज की कुल राशि मूल पूंजी से अधिक नहीं हो सकती थी। लेकिन 1949 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम पारित किया गया था जिसमें धारा 21 (ए) के तहत एक विशेष प्रावधान किया गया था जिसमें कहा गया था कि ये सहकारी बैंकों सहित बैंकिंग कंपनियों पर लागू नहीं होंगे।

ऋण के भारी बोझ के कारण किसानों की दुर्दशा को देखते हुए समिति ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 21 (ए) को समाप्त करने की सिफारिश की है। सभी ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।

फार्म क्रेडिट पर ब्याज की दर को 5.50 प्रतिशत के स्तर तक कम किया जाए, जैसा कि 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ करता था। सहकारी समितियों के मामले में, प्रत्येक परत पर लेनदेन लागत/मार्जिन को श्रृंखला की लंबाई के रूप में कम किया जाना चाहिए, भारतीय रिज़र्व बैंक से लेकर

नाबार्ड ने गाँव में राज्य-जिला और सहकारी समितियों को निर्देश दिए स्तर और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बहुत बड़े हैं। आखिरकार, किसान को इन सभी बिचौलियों/ऋण देने वाली एजेंसियों का बोझ उठाना पड़ता है।

इसलिए समिति इस श्रृंखला को छोटा करने की सिफारिश करती है, ताकि अंतिम लेनदार सीधे उधारकर्ता से जुड़ा हो। समिति यह भी चाहती है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि

इस मामले में, ब्याज मूल पूंजी से अधिक होना चाहिए और चक्रवृद्धि ब्याज की दर को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए ताकि वित्तीय संस्थानों द्वारा किसानों का शोषण कम से कम हो।

सरकार का जवाब

1.23 सरकार ने अपने कार्रवाई के जवाब में कहा है कि कृषि ऋणों पर ब्याज की दर को कम करने के लिए वर्ष के केंद्रीय बजट में यह घोषणा की गई है कि किसानों को 1 लाख रुपये की मूल राशि तक का फसल ऋण मिलेगा। 3 7 प्रतिशत ब्याज दर पर एक लाख रुपये और भारत सरकार आवश्यक ब्याज अनुदान प्रदान करेगी।

किसी खाते में जमा की गई राशि छोटे और सीमांत लोगों को दिए गए अल्पकालिक ऋणों के संबंध में मूल राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसान। भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा निर्देशों के अनुसार, बैंकों को फसल ऋण और सावधि ऋण जयंत वर्मा और ओआरएस के वर्तमान बकाया पर चक्रवृद्धि ब्याज की अनुमति नहीं है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

किसानों को दिए गए प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के संबंध में। यदि ऐसे ऋण अतिदेय हो जाते हैं तो बैंकों को सलाह दी गई है कि जहां चूक वास्तविक कारणों से है, उन्हें ऋण की अवधि बढ़ानी चाहिए या सावधि ऋण के तहत किश्तों को पुनर्निर्धारित करना चाहिए। एक बार इस तरह की राहत दी गई है कि बकाया राशि वर्तमान बकाया बन जाती है और इसलिए बैंकों को उस पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देना चाहिए। लंबी अवधि की फसलों के मामले में ब्याज केवल वार्षिक रूप से वसूल किया जाता है।

समिति की टिप्पणियां

1.24 समिति यह जानकर निराश है कि विभाग ने समिति की सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया है

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 (ए) को समाप्त करने के लिए, जो ब्याज ऋण अधिनियम, 1918 के प्रावधान में बाधा डालती है, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि एक किसान द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज की कुल राशि मूल पूंजी से अधिक नहीं हो सकती है। इसलिए समिति अपनी पिछली सिफारिशों को दोहराती है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 (ए) को हटा दिया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बैंक मूल पूंजी से अधिक ब्याज नहीं लेता है, चाहे वह लघु अवधि का ऋण हो या दीर्घकालिक ऋण, चाहे वह लघु और सीमांत किसान हों। इसके अलावा, सहकारी के प्रत्येक स्तर पर लागत/मार्जिन में कटौती के मुद्दे पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। समिति,

इसलिए, सहकारी ऋण संस्थानों की श्रृंखला को छोटा करने और अंतिम लेनदार को सीधे उधारकर्ताओं से जोड़ने के लिए उनकी पिछली सिफारिशों को दोहराता है।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, कुल संख्या 2,56,913 किसानों की है

1995 से 2010 के बीच भारत में आत्महत्या कर चुके हैं और इसका सीधा संबंध बैंकों द्वारा उनसे ली जा रही ब्याज दरों से है, जिसमें धारा 21 ए के कारण अदालतों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

3. रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री संजय पारिख ने हमें ब्याज ऋण अधिनियम के माध्यम से यह दिखाने के लिए कहा कि

ब्रिटिश भारत, यहां तक कि एक विदेशी शक्ति भी इस तथ्य के प्रति जीवित थी कि अदालतों को अत्यधिक ब्याज दरों पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, और उन्हें पूरा अधिकार दिया गया है ऐसा करने की स्वतंत्रता, प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर, जिसमें किसान ऋणी की दुर्दशा को ध्यान में रखना शामिल है। उन्होंने विभिन्न राज्य ऋण राहत अधिनियमों का भी उल्लेख किया और उन पर भरोसा किया, जिनके द्वारा प्रत्येक राज्य के पास [2018] 2 एस. सी. आर. हैं।

इसे मान्यता दी, और इस प्रकार, कानून के माध्यम से, यह प्रावधान किया है कि ऋण और उस पर ब्याज या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से माफ किया जाए या कि अदालतें

ब्याज की दर को कम करके किसान कर्जदार का बचाव किया जा सकता है। उनके अनुसार, कई राज्यों ने दमदुपत के नियम को अपनाया ताकि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अवधि के लिए ब्याज नहीं लिया जा सके।

जो भी हो, ऋण की मूल राशि से अधिक। उन्होंने फतेहचंद हिम्मतलाल और अन्य मामलों में इस अदालत के फैसलों पर दृढ़ता से भरोसा किया। वी. राज्य महाराष्ट्र आदि, (1977) 2 एस. सी. सी. 670 और पथुम्मा और अन्य। वी. केरल राज्य और अन्य। (1978) 2 एस. सी. सी. 1, यह दर्शाने के लिए कि राज्य ऋण राहत अधिनियमों को इस न्यायालय में असफल रूप से चुनौती दी गई है, और ये संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 30, सूची II के लिए संदर्भित हैं। उन्होंने संविधान सभा की बहसों का उल्लेख यह दिखाने के लिए किया कि प्रविष्टि 30, सूची II का वह हिस्सा, जो कृषि ऋण से राहत की बात करता है, पहली बार संविधान द्वारा पेश किया गया था, जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 में पूर्ववर्ती प्रविष्टि में नहीं था। उन्होंने श्री शिब्बन लाल सक्सेना द्वारा प्रस्तावित संशोधन का भी उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया, जिसके द्वारा उपरोक्त प्रविष्टि 30 को समवर्ती सूची में रखने की मांग की गई थी, ताकि कृषि ऋण की राहत में संसद का भी योगदान हो सके। हालाँकि, इसे संविधान सभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, ताकि यह विषय विशेष रूप से राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में हो।

4. इसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले पर भरोसा किया, जिसे भारतीय स्टेट बैंक के रूप में रिपोर्ट किया गया था, फिर से, ए. आई. आर. 1986 एपी 291 और हमारे द्वारा इसकी स्वीकृति की सराहना की। इसके बाद उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया। यासंगी

वेंकटेश्वर राव (1999) 2 एससीसी 375। उन्होंने निष्पक्ष रूप से बताया कि उपरोक्त एकल न्यायाधीश के फैसले को इस न्यायालय द्वारा दरकिनार कर दिया गया है, लेकिन कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले से कोई अनुपात निर्णय नहीं आया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उपरोक्त निर्णय का अनुच्छेद 7 दोनों संक्षिप्त था और इसमें बिना किसी तर्क के केवल निष्कर्ष थे।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उक्त निर्णय इनक्यूरियम के अनुसार है, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि तर्क केवल अपीलार्थी द्वारा दिए गए थे, प्रतिवादी की ओर से कोई तर्क नहीं होने के कारण, और इसलिए, उपरोक्त निर्णय का पूर्ववर्ती के रूप में कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं होगा। उन्होंने हमें जंगलों की रिपोर्ट के माध्यम से ले लिया

वर्ष 2006-2007 के लिए कृषि पर संसदीय स्थायी समिति यह दिखाने के लिए कि संसद इस तथ्य के लिए जीवित थी कि धारा 21 ए जयंत वर्मा और ओआरएस।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत ही कठोर प्रावधान था जिसके कारण बड़े पैमाने पर किसानों ने आत्महत्या की। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उक्त प्रावधान अपने भेदभावपूर्ण पहलू के साथ-साथ अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

तथ्य यह है कि धारा 21 ए एक मनमाना कानून है जिसे निरस्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि किसी भी मामले में, एक वैकल्पिक तर्क के रूप में, ग्रामीण कृषि क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर लागू होने पर उक्त धारा को पढ़ा जाना चाहिए।

5. दूसरी ओर, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री जयंत भूषण ने हमें अनुच्छेद के बारे में बताया।

246 संविधान और उसके तहत कई निर्णयों के लिए और कहा कि धारा 21 ए पूरी तरह से संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 45, सूची I के भीतर आती है, जो "बैंकिंग" है। उनके अनुसार, भले ही खंड के कुछ हिस्से को संघीय सर्वोपरि सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए प्रविष्टि 30, सूची II पर संयोग से खाई डालनी पड़े, प्रविष्टि 30, सूची II के तहत राज्य के कानून को धारा 21 ए को रास्ता देना चाहिए, न कि इसके विपरीत। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रविष्टि 30, सूची II को प्रविष्टि 45, सूची I के साथ मिलान करने का सबसे अच्छा तरीका यह कहना है कि "कृषि ऋण की राहत" में बैंकों का ऋण शामिल नहीं होगा। उन्होंने हमें भारतीय रिज़र्व बैंक के जवाबी हलफनामे के माध्यम से यह दिखाने के लिए ले जाया कि भारतीय रिज़र्व बैंक गरीब किसानों की दुर्दशा के प्रति पूरी तरह से सचेत था, और उनकी सहायता के लिए दिशानिर्देश जारी करने सहित कई उपाय किए थे। हालांकि वे इस बात से सहमत थे कि यासंगी वेंकटेश्वर राव (ऊपर) में इस अदालत का फैसला अधिक विस्तृत हो सकता था, उन्होंने तर्क दिया कि पैराग्राफ 7 एक स्पष्ट अनुपात निर्णय देता है, और इस अदालत को उसी का पालन करना चाहिए। जहाँ तक अनुच्छेद 14 की याचिका का संबंध है, उन्होंने तर्क दिया कि रिट याचिका में कोई अभिवचन नहीं है कि कैसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया था, और यह मामला होने के कारण, धारा 21 ए की संवैधानिकता का अनुमान होने के कारण, इस मामले में ऐसी धारणा का खंडन नहीं किया गया था।

6. सुश्री शिरीन खजुरिया, विद्वान वकील, जो भारत संघ की ओर से पेश हुईं, ने हमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बड़ी मेहनत से बताया। उनके अनुसार, "कृषि से राहत

ऋण ", जो कि संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 30, सूची II के उत्तरार्ध भाग में है, को" धन उधार देने वाले और साहूकार "के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो उक्त प्रविष्टि का पहला भाग है। इस मामले में, कृषि ऋण से राहत केवल साहूकारों और धन उधार देने वालों पर लागू होगी और बैंकों पर बिल्कुल नहीं। यदि कृषि ऋण से राहत का विषय धन उधार देने से जुड़ा नहीं होता, तो यह राज्य सूची में एक अलग प्रविष्टि में खुद को पाता, जो [2018] 2 एस. सी. आर. नहीं है।

उन्होंने अपने मुद्दों को पुष्ट करने के लिए कई निर्णयों पर भी भरोसा किया, और भारत सरकार द्वारा दायर दो जवाबी हलफनामों से प्रचुर मात्रा में पढ़ा ताकि यह दिखाया जा सके कि कैसे केंद्र सरकार गरीब किसानों की दुर्दशा को पूरी तरह से जीवित थी, और रिपोर्ट करने के लिए विशेषज्ञ समूहों का गठन किया था।

हम हैं।

7. दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, भारत सरकार अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित करना आवश्यक है।

और संविधान।

38. बैंकिंग, अर्थात, किसी संघीय राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगमों के अलावा अन्य निगमों द्वारा बैंकिंग व्यवसाय का संचालन और केवल उस राज्य के भीतर व्यवसाय करना। सूची II-प्रांतीय विधायी सूची

27. प्रांत के भीतर व्यापार और वाणिज्य; बाजार और मेले;

धन उधार देने वाले और साहूकार।

XXX XXX XXX

भारत का संविधान

सूची I-संघ सूची

45. बैंकिंग।

सूची II-राज्य सूची

30. धन-ऋण और धन-ऋणदाता; कृषि में राहत

XXX XXX XXX अनुच्छेद 246। विषय-संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का विषय और

राज्यों के विधानमंडलों द्वारा।

(1) खंड (2) और (3) में कुछ भी होने के बावजूद, संसद सातवीं अनुसूची में सूची I में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति है (इस में

"संघ सूची" के रूप में संदर्भित संविधान)।

जयंत वर्मा और हमारा। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(2) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, संसद और खंड (1) के अधीन रहते हुए, किसी भी राज्य के विधानमंडल को भी - सातवीं अनुसूची में सूची III में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाना (इस संविधान में जिसे -

" समवर्ती सूची ")।

(3) खंड (1) और (2) के अधीन रहते हुए, किसी भी राज्य के विधानमंडल को ऐसे राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की अनन्य शक्ति है।

सूची II में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में

सातवीं अनुसूची (इस संविधान में "राज्य" के रूप में संदर्भित)

सूची ")।

(4) संसद के पास किसी भी मामले में कानून बनाने की शक्ति है।

भारत के क्षेत्र के किसी भी भाग के लिए जो किसी राज्य में शामिल नहीं है।

इसके बावजूद कि ऐसा मामला में गिना गया है

राज्य सूची "।

8. 45, सूची I में "बैंकिंग" विषय के दायरे को समझने के लिए, हमें पहले इस विषय पर न्यायिक आदेश देखना चाहिए। ओम कावासजी कूपर (बैंकों का राष्ट्रीयकरण) बनाम। संघ का

1 , (1970) 1 279 और 281 पर एस. सी. सी. 248, इस न्यायालय ने कहाः

" 31. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 को छोड़कर किसी भी भारतीय कानून में "बैंकिंग" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। यह याद किया जा सकता है कि उस अधिनियम की धारा 5 (बी) द्वारा "बैंकिंग" का अर्थ है "स्वीकार करना"।

ऋण देने या धन जमा करने के उद्देश्य से

माँग पर या अन्यथा देय जनता से, और

शामिल हो सकते हैं। XXX XXX XXX

36. सातवीं अनुसूची की सूची I में विधायी प्रविष्टि है -

" बैंकिंग "और" बैंकर "या" बैंक "नहीं। प्रविष्टि 45, सूची I में "बैंकिंग" अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर शामिल करना, सभी वाणिज्यिक गतिविधियों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति जो एक बैंकर है। बैंकरों की प्रथा या कानून के अधिकार से संविधान का पुनर्लेखन होगा। एक निर्दिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति के निवेश में विषय के सभी आनुषंगिक मामले शामिल हैं। पूर्ण शक्ति की आकृति को इंगित करने वाले

एक व्यापक पदनाम में व्यक्त की जाने वाली एक विधायी प्रविष्टि को व्यापक आयाम के लिए अनुकूल अर्थ प्राप्त होना चाहिए, हालांकि [2018] 2 एस. सी. आर. में निहित सीमाओं के अधीन।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संघीय योजना जो संघ और घटक इकाइयों के बीच विधायी शक्ति का वितरण करती है। "बैंकिंग" का क्षेत्र नहीं हो सकता है। उन व्यापारिक गतिविधियों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया जाएगा जो सूची II में "व्यापार और वाणिज्य" की प्रविष्टि के सार पर बैंकिंग अतिक्रमण के लिए आकस्मिक नहीं हैं। ”

भारत संघ में v. दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन। , (2002) 4 275 आई. डी. 1 में, इस न्यायालय को संवैधानिक वैधता ई. बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम के कारण ऋणों की वसूली का सामना करना पड़ा। इस तर्क को खारिज करते हुए कि उक्त अधिनियम इसके अंतर्गत नहीं आएगा

45 , सूची I, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 14. दिल्ली उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण की स्थापना से संबंधित कानून बनाने की संसद की शक्ति का स्रोत सूची III की प्रविष्टि 11-ए है जो "न्याय के प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के गठन और संगठन" से संबंधित है। न्यायालय और उच्च न्यायालय "। हमारी राय में, सूची I की प्रविष्टि 45 में अब अधिनियमित विधानों के प्रकार शामिल होंगे। सूची की प्रविष्टि 45

मेरा संबंध "बैंकिंग" से है। बैंकिंग परिचालन में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऋण और जमा स्वीकार करना, ऋण देना और बैंक को देय ऋणों की वसूली शामिल होगी। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि सूची I की प्रविष्टि 45 के तहत, यह केवल संसद ही है जो बैंकों द्वारा व्यवसाय के संचालन के संबंध में कानून बना सकती है। बकाया की वसूली किसी भी बैंकिंग संस्थान का एक आवश्यक कार्य है। बैंकिंग से संबंधित अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए, संसद वह तंत्र प्रदान कर सकती है जिसके द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय धन की वसूली की जा सकती है। बैंकों को देय ऋणों के संबंध में न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई है। एक न्यायाधिकरण का विशेष तंत्र जिसका गठन अधिनियम की प्रस्तावना के अनुसार किया गया है, "शीघ्र निर्णय लेने और बकाया ऋणों की वसूली के लिए"

बैंकों और वित्तीय संस्थानों और संबंधित मामलों के लिए

इसके साथ या उससे आनुषंगिक "पूरी तरह से के भीतर आता है

चूंकि सूचियों में से किसी भी वस्तु को संकीर्ण या प्रतिबंधित अर्थ में नहीं पढ़ा जाना है, इसलिए प्रविष्टि 45 में "बैंकिंग" शब्द का अर्थ बैंकिंग से संबंधित सहायक या सहायक मामलों सहित बैंकिंग के सभी पहलुओं के बारे में कानून बनाना होगा। लेन-देन से संबंधित बैंकिंग न्यायाधिकरण जैसे न्यायिक निकाय की स्थापना, जिसमें बैंक और वित्तीय संस्थान संबंधित हैं, स्पष्ट रूप से सूची I की प्रविष्टि 45 के तहत आती है, जिससे संसद को इसके संबंध में कानून बनाने की विशिष्ट शक्ति मिलती है। जयंत वर्मा और हमारा।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि प्रविष्टि 45, सूची I को व्यापक रूप से न केवल बैंकिंग, बल्कि बैंकिंग के लिए आनुषंगिक या सहायक सभी पहलुओं को शामिल करने के रूप में माना गया है, जब तक कि "बैंकिंग" का क्षेत्र बैंकिंग के लिए आनुषंगिक नहीं है, जो कि प्रविष्टि 26, सूची II के तहत आता है।

9. इस स्तर पर, राज्य सूची में अन्य प्रविष्टियों की तुलना में "बैंकिंग" अभिव्यक्ति से संबंधित इस न्यायालय के कुछ अन्य निर्णयों का विज्ञापन करना महत्वपूर्ण होगा। इस प्रकार, प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम। बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड, खुलना, ए. आई. आर. 1947 पी. सी. 60 65 पर, प्रिवी काउंसिल ने पीठ और पदार्थ के सिद्धांत की व्याख्या की, और अंततः

यह पाया गया कि संबंधित प्रविष्टियों को उचित रूप से पढ़ने पर, बंगाल धन ऋणदाता अधिनियम, 1940, जो राज्य सूची के लिए संदर्भित था, और वचन पत्रों और बैंकिंग से संबंधित संघीय प्रविष्टियों के बीच कोई टकराव नहीं होगा। इस प्रकार, न्यायालय ने कहाः

" 35. इसके अलावा, ब्रिटिश संसद को भारतीय संविधान अधिनियम को लागू करते समय ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम और ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल अधिनियम के काम करने का लंबा अनुभव था। यह पता होना चाहिए कि व्यवहार में यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है कि कई विधानसभाओं को सौंपी गई शक्तियां कभी भी ओवरलैप नहीं होंगी। जैसा कि सर मौरिस ग्वायर सी. जे. ने सुब्रमण्यन चेट्टियार बनाम में कहा था।

मुत्तुस्वामी गौंडन, 1940 एफ. सी. आर. 188 201:

कड़ाई से मौखिक व्याख्या का पालन करने के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में कानूनों को अमान्य घोषित किया जाएगा क्योंकि उन्हें लागू करने वाली विधायिका ने एक निषिद्ध क्षेत्र में कानून बनाया होगा। अतः वह नियम जो न्यायिक समिति द्वारा विकसित किया गया है, जिसके द्वारा विवादित क़ानून है - यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या यह इस सूची के मामलों के संबंध में कानून है या उसमें है, इसके सार और सार या इसकी वास्तविक प्रकृति और चरित्र का पता लगाने के लिए जांच की गई।

36. उनके अधिपति इस बात से सहमत हैं कि यह परिच्छेद उन आधारों का सही वर्णन करता है जिन पर नियम की स्थापना की गई है, और यह कि यह प्रांतीय के साथ-साथ डोमिनियन कानून पर भी लागू होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछली कठिनाइयों के अनुभव ने भारतीय अधिनियम (2018) 2 एस. सी. आर. के प्रावधानों को और अधिक बना दिया है।

कुछ विवरणों में सटीक, और समवर्ती सूची के अस्तित्व ने उन मामलों के बीच अंतर करना आसान बना दिया है जो यह निर्धारित करने में आवश्यक हैं कि किस सूची विशेष प्रावधानों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और जो केवल आकस्मिक हैं। लेकिन द.

दो के लिए तीन सूचियों को प्रतिस्थापित करके या अधिकार क्षेत्रों के पदानुक्रम की व्यवस्था करके भी विषय-वस्तु के अतिव्यापी होने से बचा नहीं जा सकता है।

37. विषयों को अभी भी ओवरलैप करना चाहिए और वे सवाल कहाँ करते हैं, यह पूछा जाना चाहिए कि किस शिकायत के अधिनियमन का प्रभाव क्या है और किस सूची में इसकी वास्तविक प्रकृति और चरित्र पाया जाना है। यदि इन प्रश्नों को नहीं पूछा जा सकता था, तो बहुत अधिक लाभकारी कानून को जन्म के समय दबा दिया जाएगा, और प्रांतीय कानून को सौंपे गए कई विषयों को कभी भी प्रभावी ढंग से निपटा नहीं जा सकता था। 38. तीसरा, संघीय सूची में गिने गए विषयों में प्रांतों द्वारा आक्रमण की सीमा पर विचार किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है, न कि, जैसा कि उनके अधिपति सोचते हैं, क्योंकि

एक अधिनियम की वैधता को आक्रमण की डिग्री के बीच भेदभाव करके निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि विवादित अधिनियम का सार और सार क्या है। इसके प्रावधान हो सकते हैं -

संघीय क्षेत्र में अब तक की प्रगति यह दर्शाने के लिए है कि इसकी वास्तविक प्रकृति प्रांतीय मामलों से संबंधित नहीं है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि क्या इसने कम या ज्यादा अतिक्रमण किया है, लेकिन क्या अतिक्रमण, जो भी हो, यह दिखाने के लिए है कि विवादित अधिनियम का सार और सार धन उधार नहीं बल्कि वचन पत्र या बैंकिंग है? एक बार जब उस प्रश्न का निर्धारण हो जाता है तो अधिनियम रेखा के एक या दूसरी तरफ पड़ता है और इसकी वास्तविक सामग्री के अनुसार इसे वैध या अमान्य माना जा सकता है। 39. यह दृष्टिकोण तीनों सूचियों को उनके उचित परिप्रेक्ष्य में प्राथमिकता देता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे संघर्ष सूची में कहाँ आते हैं।

सूची III और II पर मेरी प्राथमिकता है और सूची II पर सूची III की प्राथमिकता है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, किस संबंध में प्राथमिकता? क्या संघीय विधानमंडल की प्राथमिकता प्रांतीय विधानमंडल को किसी भी ऐसे मामले से निपटने से रोकती है जो संयोग से उसकी सूची में किसी भी वस्तु को प्रभावित कर सकता है या प्रत्येक मामले में इस बात पर विचार करने के लिए कोई है कि किसी अधिनियम का सार क्या है और इसका सहायक प्रभाव जो भी हो, उसे उसके वास्तविक चरित्र के अनुसार उपयुक्त सूची में शामिल करें? उनके प्रभुओं की राय में बाद वाला ही सच्चा दृष्टिकोण है।

जयंत वर्मा और हमारा। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

40. यदि यह सही है तो यह निर्धारित करना अनावश्यक है कि क्या

संघीय विधायिका को दिए गए वचन पत्रों के बारे में अधिकार क्षेत्र

ऋण देना, इसलिए नहीं कि वचन पत्रों के संबंध में कानून संघीय विधायिका को प्रभावित करने वाले कानून तक ही सीमित है

परक्राम्यता-एक ऐसा मामला जिसके बारे में उनके प्रभुत्त्व नहीं व्यक्त करते हैं

अधिनियम, संघीय प्रवेश के आक्रमण के आधार पर, "वचन पत्र नोट" सूची I में मद (28). उन्होंने यह मार्ग अपनाया है, क्योंकि मामला

भारत में अदालतों में इस तरह से बहस की गई थी।

42. लेकिन बैंकिंग के मामले में भी यही विचार लागू होते हैं।

क्या यह आग्रह किया जाता है कि अधिनियम द्वारा संघीय सूची में खाई

बैंकिंग या वचन पत्रों के लिए नियम बनाना, यह अभी भी एक

जवाब दें कि उन मामलों में से कोई भी इसका सार और यह दृष्टिकोण नहीं है अनुसूचित और अधिसूचित छूट देने वाले इसके प्रावधानों द्वारा समर्थित है

बैंक अपनी आवश्यकताओं के अनुपालन से "।

(जोर दिया गया)

विरेन्द्र पाल सिंह बनाम। जिला। अस्स्टेट। पंजीयक, कॉप।

संबंध, (1980) 4 एस. सी. सी. 109 113-114 पर, उपरोक्त निर्णय था

और यू. पी. सहकारी समिति अधिनियम, 1965, जहाँ तक यह है

सहकारी बैंकों के साथ, क्षेत्र के भीतर होने के लिए आयोजित किया गया था

सूची. इस न्यायालय ने कहाः

" 9. इसके लिए विद्वान वकील द्वारा दृढ़ता से तर्क दिया गया था

कुछ मामलों में याचिकाकर्ता कि यू. पी. सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1965, जहाँ तक इसे लागू करने की मांग की गई थी

सहकारी बैंक राज्य की क्षमता से परे थे

विधायिका। तर्क यह था कि जबकि विषय "सहकारी" था।

समितियों को सूची II की प्रविष्टि 32 में शामिल किया गया था, "बैंकिंग" एक था 7 वीं अनुसूची की सूची I में स्वयं विशिष्ट प्रविष्टि (प्रविष्टि 45) और

इसलिए, राज्य विधानमंडल में कानून बनाने में असमर्थ था "सहकारी समितियों" द्वारा बैंकिंग के संबंध में। कोई पदार्थ नहीं है

इस प्रस्तुति में जो भी हो। सूची I की प्रविष्टि 43 "निगमन" है,

बैंकिंग सहित व्यापारिक निगमों का विनियमन और समापन, [2018] 2 एस. सी. आर.

बीमा और वित्तीय निगम लेकिन सहकारी समितियों को शामिल नहीं करते हैं। प्रविष्टि 44 "निगमों का निगमन, विनियमन और समापन है, चाहे वे व्यापार करें या न करें, जिसका उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालयों को शामिल नहीं किया गया है।" प्रविष्टि 45 "बैंकिंग" है। सूची II की प्रविष्टि 32 है, "सूची I में निर्दिष्ट निगमों के अलावा अन्य निगमों का निगमन, विनियमन और समापन; अनिगमित व्यापार, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य समाज और संघ; सहकारी समितियाँ"।

10. हम इस प्रश्न पर अधिकार की प्रचुरता का उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझते हैं कि यह कैसे निर्धारित किया जाए कि कोई कानून एक सूची में प्रविष्टि के अंतर्गत आता है या दूसरी सूची में प्रविष्टि के अंतर्गत आता है। बहुत पहले प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम. बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड. [74 आई. ए. 23] प्रिवी काउंसिल को इस सवाल का सामना करना पड़ा कि क्या बंगाल धन-ऋणदाता अधिनियम गिर गया।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सातवीं अनुसूची की सूची II में प्रविष्टि 27 के भीतर, जो "धन-ऋण" था, जिसके संबंध में प्रांतीय विधानमंडल कानून बनाने के लिए सक्षम था, या क्या यह सूची I में प्रविष्टि 28 और 38 के भीतर आता है जो "वचन पत्र" और "बैंकिंग" थे जो इसके अंतर्गत थे।

केंद्रीय विधानमंडल की क्षमता। तर्क यह था कि बंगाल धन-ऋणदाता अधिनियम प्रांतीय विधानमंडल की क्षमता से परे था क्योंकि यह वचन पत्रों और बैंकिंग के व्यवसाय से संबंधित था। प्रिवी काउंसिल ने पूरे अधिनियम की शक्तियों को बरकरार रखा क्योंकि यह धन उधार देने से संबंधित था। उन्होंने देखाः

" विषयों को अभी भी ओवरलैप करना चाहिए, और वे सवाल कहाँ करते हैं, यह पूछा जाना चाहिए कि किस शिकायत के अधिनियमन का वास्तविक प्रभाव क्या है, और इसकी वास्तविक प्रकृति और चरित्र किस सूची में पाया जाना है। यदि इन प्रश्नों को नहीं पूछा जा सकता था, तो बहुत अधिक लाभकारी कानून को जन्म के समय दबा दिया जाएगा, और प्रांतीय कानून को सौंपे गए कई विषयों से कभी भी प्रभावी ढंग से निपटा नहीं जा सकता था।

प्रिवी काउंसिल की टिप्पणियों के आलोक में यू. पी. सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों की जांच करते हुए हमें इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि यह अधिनियम सार और सार से संबंधित है।

" सहकारी समितियाँ "। यह संयोग से बैंकिंग पर खाई डालता है जो इसे राज्य विधानमंडल की क्षमता से परे नहीं ले जाता है। यह स्पष्ट है कि उचित वित्तपोषण और प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए जयंत वर्मा और ओआरएस।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

जो दूसरों के काम करने को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंकिंग व्यवसाय करते हैं। सहकारी समितियाँ। सिर्फ इसलिए कि वे बैंकिंग व्यवसाय करते हैं

ऐसी सहकारी समितियाँ सहकारी समितियाँ बनना बंद नहीं करती हैं,

जब अन्यथा वे सहकारी समिति के तहत पंजीकृत हों

सोसायटी अधिनियम और कर्तव्यों, देनदारियों और नियंत्रण के अधीन हैं

सोचिए कि सवाल पर और अधिक विचार किया जाना चाहिए और हम, इसलिए, मान लीजिए कि यू. पी. सहकारी समिति अधिनियम इसके अंतर्गत था।

राज्य विधानमंडल की क्षमता। यह भी था नज़रिया

नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम।

संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियाँ [ए. आई. आर. 1971]

बम 365: 1971 माह एल. जे. 932] और संत साधु सिंह बनाम। की स्थिति पंजाब [ए. आई. आर. 1970 पी एंड एच 528] "।

(जोर दिया गया)

इसी तरह, हरीश तारा रिफ्रैक्टरीज (पी) लिमिटेड बनाम। प्रमाण पत्र

ईआर, सदर रांची, (1994) 5 एससीसी 324, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

और उड़ीसा सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम, 1914 को संदर्भित किया गया था

समवर्ती सूची के 11 ए और 13 हैं और प्रविष्टि 45, सूची I के लिए नहीं।

10. अब हम दृढ़ता से संदर्भित कुछ निर्णयों पर आते हैं

श्री पारिख द्वारा अभिभूत। फतेहचंद (ऊपर) में, कई दलीलें

1976 के महाराष्ट्र ऋण राहत अधिनियम को अमान्य करने के लिए लिया गया। यहाँ तक कि

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि लाभप्रद क्षमता का संबंध हैः

" 54. फिर राज्य विधानमंडल की अक्षमता क्या है? श्री.

बी. सेन ने आग्रह किया कि निजी ऋणों का सफाया किया जाए

साहूकारों की पूंजीगत परिसंपत्तियाँ मुख्य बातों में से एक हैं।

सामान्य ज्ञान और सामान्य अंग्रेजी इसके घटक हैं संवैधानिक निर्माण, कम करके ऋणों के खिलाफ राहत,

निर्वहन, ब्याज और मूलधन को कम करना, और

ऋणों की प्राप्ति, अन्य बातों के अलावा, पूरी तरह से इसके दायरे में आएगी। विषय को। और वह, वंशानुगत ऋण के देश में

विशाल पैमाना! यह कहना आम बात है कि विधायी प्रमुख बड़े और उदार अर्थ प्राप्त करने चाहिए और

रूब्रिक्स की भावना को व्यापक सीमा को अपनाना चाहिए।

आनुषंगिक और संज्ञानात्मक मामले उनके दायरे में आते हैं। द. धन ऋण और ऋण का पूरा सरगम-परिसमापन इस प्रकार इसके भीतर है।

राज्य की विधायी क्षमता। संदर्भ में

राजमुंदरी बिजली मामला [राजमुंदरी बिजली आपूर्ति]

निगम बनाम। आंध्र राज्य, ए. आई. आर 1954 एस. सी. 251: 1954 एससीआर

779] इसका कोई महत्व नहीं है। न ही अभिव्यक्ति की अनुपस्थिति है

" किसी भी क्षण की प्रविष्टि 30, सूची II में राहत "जब से राहत मिलती है

साहूकार इस विषय में स्पष्ट रूप से निहित हैं। कभी-कभी, तर्कों को केवल अस्वीकार किए जाने के लिए कहा जाना चाहिए। (पृष्ठ 693 पर)

(जोर दिया गया)

इसी तरह, पथुम्मा (ऊपर) में, यह न्यायालय एक

केरल ऋण की धारा 20 की संवैधानिक वैधता

संस्कृतिवादी राहत अधिनियम, 1970, जो देनदारों को वसूली का अधिकार देता है

फरमानों के निष्पादन में खरीदारों को बेचे गए आदेश। इस न्यायालय ने फतेहचंद (उपरोक्त) को कुछ विस्तार से सूचित करने के बाद कहाः

" 36. अधिनियम का घोषित उद्देश्य काफी राहत देता प्रतीत होता है

अधिनियम सामाजिक विधान का एक भाग है। डिक्री धारक के रूप में जिसके पास था खरीदी गई संपत्ति का भुगतान करके पूरी तरह से मुआवजा दिया जाता है

कहा कि संपत्ति रखने का उनका अधिकार पूरी तरह से रहा है नष्ट कर दिया। खरीदार को संपत्ति एक संकट बिक्री पर मिलती है और

उन दयनीय स्थितियों से पूरी तरह से अवगत है जिनके तहत देनदार कर्ज चुकाने में असमर्थ था। एक संविधान में जो विवाहित है

समाज का एक सामाजिक स्वरूप जो खरीदार को माना जाना चाहिए

इस बात का ज्ञान रखें कि किसी की भलाई के लिए कोई भी सामाजिक कानून

विशेष समुदाय या सामान्य लोगों को लाया जा सकता है।

संसद द्वारा किसी भी समय आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि, अधिनियम में ऐसा नहीं है

खरीदार को देय राशि का भुगतान किए बिना उसकी संपत्ति छीन लें

क्षतिपूर्ति। यह सच है कि धारा 20 (2) (बी) भुगतान का प्रावधान करती है।

किश्तों द्वारा खरीद राशि का, लेकिन कोई अपवाद नहीं हो सकता है

इस तथ्य पर लिया जाता है कि ऋणी की गरीबी को देखते हुए यह नहीं है

उसके लिए एकमुश्त और कानून के रूप में ऋण का भुगतान करना संभव है। एक विशेष समुदाय के लिए भुगतान का प्रावधान है

किश्तों को डिक्री के साथ गंभीर अन्याय नहीं कहा जा सकता है

धारक खरीदार। एक अजनबी नीलामी खरीदार के साथ जयंत वर्मा और ओआरएस का व्यवहार किया गया है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अलग तरह से क्योंकि उनका डिक्री से कोई लेना-देना नहीं था और है कृषक ऋणी को संपत्ति वापस करने का आदेश दिया गया

जोर दिए बिना पूरी राशि का एकमुश्त भुगतान

किश्तें। इस प्रकार, संक्षेप में, स्थिति यह है कि

अधिनियम गरीब व्यथित कृषक कर्जदारों को इससे बचाने के लिए है

लोभी लेनदारों के चंगुल में जिन्होंने संपत्तियों को हड़प लिया है कर्जदारों और कर्जदारों को उनके मुख्य स्रोत से वंचित कर दिया

निर्वाह "।

(पृष्ठ 22 पर)

विधायी क्षमता से निपटने में, इस न्यायालय ने धारा को बरकरार रखा

निम्नलिखित शर्तें हैं:

" 56. यह संविधान का अनुच्छेद 246 है जो

विषय-संसद द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों का विषय और

राज्यों के विधानमंडल। अनुच्छेद के खंड (3) में प्रावधान है कि

अनुच्छेद के खंड (1) और (2) के अधीन जिसके साथ हम नहीं हैं संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास "अनन्य शक्ति है

कानून बनाएँ। में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में

सूची II "। सूची की प्रविष्टि 30 विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों को बताती है -

राज्य विधानमंडल की क्षमता के भीतर होने के नाते,

30 —धन-ऋण और धन-ऋणदाता; कृषि में राहत

ऋणग्रस्तता।

अधिनियम की धारा 2 का खंड (1) एक "कृषक", खंड को परिभाषित करता है। (4) "ऋण" को परिभाषित करता है, खंड (5) "देनदार" को परिभाषित करता है और दोनों

धारा 20 के स्पष्टीकरण "न्यायालय" अभिव्यक्तियों को परिभाषित करते हैं और

" कृषक "ताकि एक ऐसे व्यक्ति को शामिल किया जा सके जो एक कृषक लेकिन अपनी अचल संपत्ति की बिक्री के लिए। दूसरे ने

धाराओं में देनदारियों के निपटान और भुगतान का प्रावधान है।

किसी भी तर्क को आगे बढ़ाने में सक्षम था जो एक अलग तर्क को सही ठहरा सकता था देखें। इस संबंध में इस न्यायालय के [2018] 2 एस. सी. आर. को निर्देश दिया जा सकता है।

57. यह सच है कि अधिनियम की धारा 20 में अचल संपत्ति की किसी भी बिक्री को अलग करने का प्रावधान है जिसमें एक कृषक है। ब्याज था, यदि संपत्ति बेची गई थी, अन्य बातों के साथ-साथ, ऋण की वसूली के लिए किसी डिक्री के निष्पादन में: (क) 1 नवंबर, 1956 को या उसके बाद, या (ख) 1 नवंबर, 1956 से पहले, लेकिन जिसका अधिकार वास्तव में 20 नवंबर, 1957 से पहले पारित नहीं हुआ है।

निर्णय-खरीदार का ऋणी, और डिक्री-धारक है

खरीदार, निष्पादन की लागत आदि के साथ खरीद राशि का आधा हिस्सा जमा करने पर। इसलिए यह धारा एक ऐसे दायित्व से संबंधित है जो अधिनियम के लागू होने की तारीख को समाप्त हो गया था और अस्तित्व में नहीं था। लेकिन सूची II की प्रविष्टि 30 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि यह आकर्षित नहीं होगा और राज्य विधानमंडल को केवल इसलिए कानून बनाने में सक्षम नहीं बनाएगा क्योंकि कृषक के ऋण का भुगतान संकटग्रस्त बिक्री के तहत किया गया था। प्रविष्टि का विषय "कृषि ऋण से राहत" है और इस तर्क का कोई औचित्य नहीं है कि यह केवल मौजूदा ऋण तक ही सीमित है और इसमें उन किसानों को राहत प्रदान करने की आवश्यकता शामिल नहीं है जिन्होंने अपना कर्ज खो दिया है।

उनके खिलाफ और बेसहारा कर दिया गया था। उनकी समस्या वास्तव में अधिक तीव्र और गंभीर थी, क्योंकि उन्होंने अपनी आजीविका का साधन खो दिया था और वे गरीबी की स्थिति में आ गए थे। अ. कृषक केवल इसलिए कृषक नहीं रह जाता है क्योंकि उसने अपनी अचल संपत्ति खो दी है और यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य को केवल उसे आवश्यक राहत प्रदान करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

क्योंकि उसने अपनी अचल संपत्ति खो दी है। दूसरी ओर उनकी असहाय स्थिति जल्द समाधान की मांग करती है और यह स्वाभाविक है कि राज्य विधानमंडल को प्रकृति के एक अधिनियम के तहत आवश्यक राहत प्रदान करके उनके पुनर्वास के बारे में सोचना चाहिए।

इन मामलों पर विचार करें। वास्तव में प्रविष्टि 30 के शब्दों में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि इसके द्वारा विचार की गई राहत आवश्यक है।

यह आवश्यक रूप से किसी भी मौजूदा ऋण से संबंधित है और जयंत वर्मा और ओआरएस से संबंधित नहीं है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उन लोगों को राहत देने के सवाल को शामिल करें जिन्होंने साधन खो दिए हैं

उन्हें विधायी व्यवस्था प्रदान करने में देरी के कारण उनकी आजीविका

राहत मिलती है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है, इस न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया है

नवीनचंद्र मफतलाल बनाम। सीआईटी [ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 58: (1955) 1

एससीआर 829: (1954) 26 आई. टी. आर. 758], कि "एक में शब्दों को समझने में

उदार निर्माण को शब्दों पर रखा जाना चाहिए ताकि वही उनके व्यापक आयाम में प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए

एक विधायी उपाय केवल तकनीकीता के लिए खो सकता है।

(पृष्ठों पर 31-32)

(जोर दिया गया)

11. यह हमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम के विस्तार में लाता है,

o क्या उक्त अधिनियम, जिसमें संशोधन धारा शामिल है।

यह कहा जा सकता है कि यह सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 45, सूची I के अंतर्गत आता है

संस्थान। बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान,एच वर्तमान रिट याचिका पर निर्णय लेने के लिए हमारे लिए आवश्यक हैं, बनामः

" 3. कुछ मामलों में सहकारी समितियों पर लागू होने के लिए अधिनियम।

इस अधिनियम में कुछ भी लागू नहीं होगा। (क) एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति;

(ख) एक सहकारी भूमि बंधक बैंक; और

((ग) रीति और उपबंध को छोड़कर कोई अन्य सहकारी समिति

भाग 5 में निर्दिष्ट सीमा।

5. व्याख्या इस अधिनियम में, जब तक कि विषय में कुछ भी अप्रिय न हो या

(ख) "बैंकिंग" का अर्थ है ऋण देने के उद्देश्य से स्वीकार करना या जनता से धन जमा करने का निवेश, जिस पर भुगतान किया जाना है

मांग या अन्यथा, और चेक, ड्राफ्ट, आदेश या द्वारा निकासी

अन्यथा; (ग) "बैंकिंग कंपनी" से कोई भी कंपनी अभिप्रेत है जो लेन-देन करती है

भारत में बैंकिंग का व्यवसाय; 2 एस. सी. आर.

स्पष्टीकरण। कोई भी कंपनी जो निर्माण में लगी हुई है

(ख) किसी भी सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए एजेंट के रूप में कार्य करना; माल की समाशोधन और अग्रेषण, रसीदें और निर्वहन देना और अन्यथा किसी भी विवरण के एजेंसी व्यवसाय को जारी रखना। ग्राहकों की ओर से वकील, लेकिन किसी कंपनी के प्रबंध अभिकर्ता या सचिव और खजांची के व्यवसाय को छोड़कर; जयंत वर्मा और ओआरएस।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(ग) सार्वजनिक और निजी ऋणों के लिए अनुबंध करना और उनसे बातचीत करना और उन्हें जारी करना;

(घ) किसी भी सार्वजनिक या निजी मुद्दे के प्रबंधन और निष्पादन में भाग लेने, बीमा करने, गारंटी देने, हामी देने,

राज्य, नगरपालिका या अन्य ऋण या किसी भी कंपनी, निगम या संघ के शेयरों, स्टॉक, डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक और ऐसे किसी भी मुद्दे के उद्देश्य के लिए धन उधार देना; (ई) हर प्रकार की गारंटी और क्षतिपूर्ति व्यवसाय को जारी रखना और उसका लेन-देन करना;

(च) किसी भी संपत्ति का प्रबंधन, बिक्री और प्राप्ति जो संतुष्टि या आंशिक रूप से कंपनी के कब्जे में आ सकती है।

उसके किसी भी दावे की संतुष्टि; (छ) किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण और धारण करना और आम तौर पर उससे निपटना।

या ऐसी किसी संपत्ति में कोई अधिकार, स्वामित्व या ब्याज जो किसी भी ऋण या अग्रिम के लिए प्रतिभूति या प्रतिभूति का हिस्सा हो सकता है या जो ऐसी किसी प्रतिभूति से जुड़ा हो सकता है;

(ज) न्यासों का उपक्रम और निष्पादन;

((i) निष्पादक, न्यासी या अन्यथा के रूप में संपदाओं का प्रशासन करना; (जे) कंपनी के कर्मचारियों या पूर्व कर्मचारियों या ऐसे व्यक्तियों के आश्रितों या संपर्कों को लाभान्वित करने के लिए गणना की गई संघों, संस्थानों, निधियों, न्यासों और सुविधाओं की स्थापना और समर्थन या सहायता करना;

पेंशन और भत्ते और बीमा के लिए भुगतान करना; धर्मार्थ या परोपकारी के लिए धन की सदस्यता लेना या गारंटी देना।

वस्तुओं या किसी प्रदर्शनी या किसी सार्वजनिक, सामान्य या उपयोगी वस्तु के लिए; (के) के अधिग्रहण, निर्माण, रखरखाव और परिवर्तन

कंपनी के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या सुविधाजनक कोई भवन या कार्य;

(1) बिक्री, सुधार, प्रबंधन, विकास, आदान-प्रदान, पट्टे पर देना, गिरवी रखना, निपटान या खाते में बदलना या अन्यथा

संपत्ति के सभी या किसी भी हिस्से और अधिकारों से निपटने के लिए

(एम) किसी भी व्यक्ति या कंपनी के पूरे या व्यवसाय के किसी भी हिस्से का अधिग्रहण और उपक्रम, जब ऐसा व्यवसाय प्रकृति का हो। इस उप-खंड में उल्लिखित या वर्णित;

(एन) ऐसे सभी अन्य कार्य करना जो कंपनी के व्यवसाय के प्रचार या उन्नति के लिए आनुषंगिक या अनुकूल हों;

(ओ) व्यवसाय का कोई अन्य रूप जो केंद्र सरकार द्वारा

आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा व्यवसाय के एक रूप के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है जिसमें किसी बैंकिंग कंपनी के लिए संलग्न होना वैध है।

(2) कोई भी बैंकिंग कंपनी किसी भी प्रकार के व्यवसाय में संलग्न नहीं होगी।

उप-धारा (1) में निर्दिष्ट लोगों के अलावा।

XXX XXX XXX

22. बैंकिंग कंपनियों का लाइसेंस

(1) इसके बाद दिए गए प्रावधान को छोड़कर, कोई भी कंपनी भारत में बैंकिंग व्यवसाय तब तक नहीं करेगी जब तक कि उसके पास रिजर्व बैंक द्वारा उस ओर से जारी लाइसेंस न हो और ऐसा कोई भी लाइसेंस ऐसी शर्तों के अधीन जारी किया जा सकता है जो रिजर्व बैंक लागू करना उचित समझे।

संशोधन, अर्थात्: (क) इस अधिनियम के दौरान, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो,

(i) "बैंकिंग कंपनी" या "कंपनी" या "ऐसी कंपनी" के संदर्भों को एक सहकारी बैंक के संदर्भ के रूप में माना जाएगा;

((ii) "इस अधिनियम के प्रारंभ" के संदर्भों का अर्थ लगाया जाएगा।

बैंकिंग कानूनों के प्रारंभ के संदर्भ में

(सहकारी समितियों पर अनुप्रयोग) अधिनियम, 1965 (1965 का 23);

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम संबंधित है

"बैंकिंग" का विषय जहां तक यह बैंकिंग कंपनियों को एड और सहकारी बैंकों के रूप में लाइसेंस देता है और उन्हें विनियमित करना चाहता है। यद्यपि धारा संशोधन के माध्यम से, निस्संदेह ऋण को फिर से खोलने पर रोक से संबंधित पूर्वनिर्धारित अधिनियम का एक अभिन्न अंग है।एक बैंकिंग कंपनी और उसके देनदार के बीच कार्रवाई, जमीन पर जयंत वर्मा और ओआरएस।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

कि प्रभारित ब्याज की दर अत्यधिक है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एक बैंकिंग कंपनी के लिए एक देनदार के ऋण से संबंधित एक कानून और

ऐसे किसी भी लेन-देन को फिर से खोलने के खिलाफ अदालत का निर्णय, इस आधार पर कि बैंकिंग कंपनी द्वारा लिया गया ब्याज अत्यधिक है, बैंकिंग के व्यवसाय से संबंधित होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सातवीं अनुसूची की सूचियों में प्रविष्टियों को व्यापक संभव तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, और हमने ऊपर उद्धृत निर्णयों से देखा है कि प्रविष्टि 45, सूची I में निहित "बैंकिंग" अभिव्यक्ति को व्यापक अर्थ दिया जाना है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि समग्र रूप से क़ानून और उपरोक्त धारा प्रविष्टि 45, सूची I के अंतर्गत आती है।

12. उपरोक्त धारा का प्रभाव ब्याज ऋण अधिनियम और सभी राज्य ऋण राहत अधिनियमों को नुकसान से बाहर करना है। द यूसरियस

जिस तरह से ऋण अधिनियम 1918 में अधिनियमित किया गया था; इसका उद्देश्य भारत में न्यायालयों को अनुचित सूदखोरी से संबंधित मामलों में एक न्यायसंगत अधिकार क्षेत्र प्रदान करना था।

अनुबंध। धारा 2 (1) और 2 (2) क्रमशः "ब्याज" और "ऋण" को व्यापक शब्दों में निम्नानुसार परिभाषित करते हैं:

" 2. परिभाषाएँ।

इस अधिनियम में, जब तक कि विषय में कुछ भी अप्रिय न हो या संदर्भ,

(1) " ब्याज "से ब्याज की दर अभिप्रेत है और इसमें वास्तव में जो उधार दिया गया था, उससे अधिक की जाने वाली वापसी शामिल है, चाहे वह ब्याज लिया गया हो या विशेष रूप से ब्याज के रूप में या अन्यथा वसूल करने की मांग की गई हो।

(2) " "ऋण" से धन या किसी प्रकार का ऋण अभिप्रेत है और इसमें कोई भी लेन-देन शामिल है जो न्यायालय की राय में सार में है।

एक ऋण "।

धारा 3, जो उक्त अधिनियम की संचारी धारा है, इस प्रकार है

निम्नलिखित है:

" 3. लेन-देन को फिर से खोलना। ब्याज विधि निरसन अधिनियम, 1855 (1855 का 28) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी ऐसे वाद में, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, चाहे उसकी सुनवाई एकतरफा हो या अन्यथा, न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है कि -

((क) कि ब्याज अत्यधिक है; और

(ख) कि लेन-देन, जैसा कि पक्षकारों के बीच काफी हद तक अनुचित था, न्यायालय सभी या इनमें से किसी का प्रयोग कर सकता है - निम्नलिखित शक्तियाँ, अर्थात् मई, [2018] 2 एस. सी. आर.

(i) लेन-देन को फिर से खोलें, पक्षों के बीच एक खाता लें। और देनदार को किसी भी अत्यधिक ब्याज के संबंध में सभी दायित्वों से मुक्त करता है।

((ii) किसी भी समझौते के बावजूद, पिछले लेनदेन को बंद करने और एक नया दायित्व बनाने के लिए, कोई भी खाता फिर से खोलें।

पहले से ही उनके बीच लिया गया है और देनदार को किसी भी अत्यधिक ब्याज के संबंध में सभी दायित्वों से मुक्त करता है, और यदि ऐसे दायित्व के संबंध में कुछ भी भुगतान किया गया है या खाते में अनुमति दी गई है, तो लेनदार को किसी भी राशि को चुकाने का आदेश दें जिसे वह उसके संबंध में चुकाने योग्य मानता है;

((ग) किसी भी ऋण के संबंध में दी गई किसी प्रतिभूति या समझौते को पूरी तरह या आंशिक रूप से अलग रखें या संशोधित या परिवर्तित करें, और यदि लेनदार

प्रतिभूति के साथ भाग लिया है, उसे इस तरह से और उस हद तक क्षतिपूर्ति करने का आदेश दें जो वह उचित समझेः

बशर्ते कि इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय नहीं।

(i) पिछले लेन-देन को बंद करने के लिए किसी भी समझौते को फिर से खोलें।

स्पष्टीकरण। - लेन-देनों की एक श्रृंखला पर लाए गए मुकदमे के मामले में "लेन-देन" अभिव्यक्ति का अर्थ है, परंतुक (i) के प्रयोजनों के लिए, ऐसे लेन-देनों में से पहला। (2) (क) इस धारा में "अत्यधिक" का अर्थ उस जोखिम से अधिक है जिसे न्यायालय उचित समझता है, जैसा कि वह ऋण की तारीख में लेनदार के सामने प्रकट हुआ था या माना जाना चाहिए था।

चाहे धन में हो या वस्तु में, खर्चों, पूछताछ, जुर्माने, बोनस, प्रीमियम, नवीनीकरण या किसी अन्य शुल्क के लिए, और यदि चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है, तो वह अवधि जिस पर इसकी गणना की जाती है, और कुल लाभ जो उचित रूप से लेन-देन से अपेक्षित माना जा सकता है।

जयंत वर्मा और हमारा। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

लेनदार को ज्ञात थे, या ज्ञात होने के लिए माना जाना चाहिए। (घ) यह विचार करते हुए कि क्या कोई लेन-देन काफी हद तक अनुचित था,

न्यायालय सभी परिस्थितियों को भौतिक रूप से ध्यान में रखेगा। ऋण के समय पक्षों के संबंधों को प्रभावित करना या यह दिखाने की कोशिश करना कि लेन-देन अनुचित था, जिसमें ऋण के समय देनदार की आवश्यकताएं या कथित आवश्यकताएं भी शामिल हैं, जहां तक वे ज्ञात थीं, या होनी चाहिए

ज्ञात किया गया, लेनदार के लिए।

स्पष्टीकरण। - ब्याज अपने आप में पर्याप्त प्रमाण हो सकता है कि

लेन-देन काफी हद तक अनुचित था।

(3) यह धारा किसी भी वाद पर लागू होगी, चाहे उसका रूप कुछ भी हो, यदि ऐसा वाद काफी हद तक ऋण की वसूली या ऋण के संबंध में किसी समझौते या प्रतिभूति को लागू करने के लिए है।

(4) इस धारा की कोई भी बात किसी भी अंतरिती के मूल्य के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी जो न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसे हस्तांतरण प्रामाणिक था और इस तरह के हस्तांतरण के समय उसके पास किसी भी तथ्य की कोई सूचना नहीं थी जो ऋणदाता के खिलाफ देनदार का हकदार होता। इस धारा के तहत राहत देने के लिए।

इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "सूचना" शब्द का वही अर्थ होगा जो हस्तांतरण की धारा 4 में दिया गया है।

संपत्ति अधिनियम, 1882 (1882 का 4)।

(5) इस धारा की किसी भी बात को अपमानजनक नहीं माना जाएगा -

किसी भी न्यायालय की विद्यमान शक्तियाँ या अधिकारिता।

13. यह देखा जा सकता है कि ऋणदाता की वित्तीय स्थिति सहित कई आरएस पर विचार करते हुए ब्याज दरों को कम करने के लिए अदालतों को बहुत व्यापक शक्तियां दी गई हैं। राज्य ऋण राहत जैसा कि यहाँ ऊपर कहा गया है, और भी आगे बढ़ें और न केवल ब्याज की अत्यधिक दरों को कम करने से संबंधित हैं, बल्कि कुछ मामलों में, [2018] 2 एस. सी. आर.

पूर्ण या आंशिक रूप से ब्याज और पूर्ण या आंशिक रूप से ऋण की मूल राशि की माफी प्रदान करें। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता।

1 सुश्री. खजुरिया ने स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर बनाम पर भरोसा किया। मोहम्मद मोहम्मद खान, 1982 (1) एस. सी. आर. 338,348, इस प्रस्ताव के लिए कि बैंकों को 1970 के केरल कृषि ऋण राहत अधिनियम से बाहर रखा गया था, क्योंकि साहूकारों के विपरीत, वे जरूरतमंद किसानों का शोषण नहीं करते हैं और उन्हें ऋण देते समय उन पर कठोर और कठोर शर्तें नहीं लगाते हैं। हालांकि वर्ष 1982 में यह धारणा रही होगी, लेकिन 1982 के बाद के वर्षों में धारणा बदल गई है क्योंकि हाल के कई राज्य ऋण राहत अधिनियमों में बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के खिलाफ राहत शामिल है। उदाहरण के लिए, केरल किसान ऋण राहत आयोग अधिनियम, 2006 "ऋण" को संस्थागत ऋणदाताओं और सहकारी समितियों को देय देनदारियों सहित परिभाषित करता है, और आगे भारतीय स्टेट बैंक, इसकी सहायक कंपनियों और "किसी भी अनुसूचित बैंक" को शामिल करने के लिए "संस्थागत ऋणदाताओं" को परिभाषित करता है। तेलंगाना राज्य ऋण राहत आयोग (लघु) में भी यही स्थिति है किसान, कृषि मजदूर और ग्रामीण कारीगर) अधिनियम, 2016। दोनों अधिनियमों की धारा 11 और 12 में कहा गया हैः

" 11. मुकदमों, आवेदनों और अन्य कार्यवाहियों पर रोक।

ऋण की वसूली के लिए कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा, या ऋण के संबंध में डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (बी) में वर्णित किसान के खिलाफ किया जाएगा और ऐसे किसी भी मुकदमे में किसी डिक्री या आदेश के खिलाफ समीक्षा के लिए कोई अपील, पुनरीक्षण याचिका या आवेदन नहीं किया जाएगा।

ऐसे किसान के खिलाफ किसी दीवानी न्यायालय, या न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा या किया जाएगा और ऐसे किसान के खिलाफ ऐसे मुकदमे, आवेदन, अपील और याचिकाएं किसी जिले या उसके हिस्से को संकटग्रस्त क्षेत्र के रूप में घोषित करने की तारीख से पहले स्थापित या की जाएंगी और ऐसी तारीख को लंबित रहने पर आयोग उस अवधि के लिए रोक लगा देगा, जिसकी आयोग उस ओर से सिफारिश करे। " 12.
किश्तों में ऋण का भुगतान

(1) किसी कानून या अनुबंध या किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी डिक्री या आदेश में कुछ भी निहित होने के बावजूद, धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (बी) में वर्णित किसान प्रत्येक भुगतान के समय बकाया मूल राशि पर आयोग द्वारा अनुशंसित उचित ब्याज दर के साथ उपयुक्त किश्तों में अपने ऋणों का निर्वहन आयोग द्वारा निर्देशित तरीके से कर सकता है और आयोग द्वारा निर्देशित तरीके से उसी का भुगतान करने पर, पूरा ऋण -

बर्खास्त माना जाता है।

(2) जहां ऋण की किसी भी किश्त का भुगतान आयोग द्वारा निर्देशित नियत तिथि पर नहीं किया जाता है, तो लेनदार इसकी वसूली करने का हकदार होगा।

आयोग द्वारा निर्धारित की जाने वाली विधिः बशर्ते कि आयोग द्वारा इस धारा के तहत निर्णय लेने से पहले,

किसान को सुनने का मौका दिया जाएगा। जयंत वर्मा और हमारा।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

14. इसलिए, जो प्रश्न हमारे सामने उठते हैं, वे हैं:

आई. प्रविष्टि 45, सूची I बनाम प्रविष्टि 30, सूची II का दायरा क्या है?

संविधान की सातवीं अनुसूची?

ii. क्या धारा 21 ए को राज्य ऋण पर प्रबल कहा जा सकता है

दोनों के बीच टकराव की स्थिति में राहत अधिनियम?

इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, हमें विचार करना होगा

सुश्री शिरीन खजुरिया और श्री भूषण की दलीलें।

15. सुश्री खजुरिया के अनुसार, अभिव्यक्ति "राहत की

कृषि ऋण "को" धन उधार देने वाले और साहूकार "अभिव्यक्ति से रंग लेना चाहिए, जो सातवीं की प्रविष्टि 30, सूची II में है।

अनुसूची. हमें डर है कि हम कई कारणों से सहमत नहीं हो सकते। सबसे पहले, विशुद्ध रूप से व्याकरणिक रूप से, एक अर्धविराम दोनों अभिव्यक्तियों को अलग करता है जो दर्शाता है कि वे अटूट रूप से जुड़े नहीं हैं। इसके अलावा, हम पहले ही पथुम्मा (उपरोक्त) सहित कई निर्णयों को स्वीकार कर चुके हैं, जिसमें कहा गया है कि सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 30, सूची II को सबसे व्यापक और सबसे उदार संभव अर्थ दिया जाना चाहिए। इस प्रविष्टि के बाद के भाग को किसी भी नियम द्वारा संकुचित नहीं किया जा सकता है, या प्रविष्टि के पूर्व भाग से रंग लिया जा सकता है। 2 वास्तव में, संविधान के समय विभिन्न राज्य अधिनियम पहले से ही अस्तित्व में थे, जो साहूकार के दृष्टिकोण से कृषि ऋण की राहत के विषय से संबंधित थे। उदाहरण के लिए, असम धन-ऋणदाता अधिनियम, 1934 की धारा 8 और 9, केंद्रीय प्रांत धन-ऋणदाता अधिनियम, 1934 की धारा 9 और 10, बिहार धन-ऋणदाता अधिनियम, 1938 की धारा 11 और 12, उड़ीसा धन-ऋणदाता अधिनियम, 1939 की धारा 9,10 और 11, बंगाल धन-ऋणदाता अधिनियम, 1940 की धारा 31 और 36 और बॉम्बे धन-ऋणदाता अधिनियम, 1946 की धारा 23,24 और 29 देखें। जाहिर है, संविधान द्वारा पहली बार "कृषि ऋण की राहत" विषय को जोड़ने से कृषि ऋण की राहत का उल्लेख नहीं होगा।

केवल साहूकारों से, बल्कि उन सभी व्यक्तियों से भी जो बैंकों सहित ऋण देते हैं। अन्यथा, विषय वस्तु "कृषि की राहत" है। 2 2001 के विशेष संदर्भ संख्या 1 (2004) 4 एस. सी. सी. 489 में, प्रविष्टि 25, सूची 2 में निहित "गैस और गैस कार्य" अभिव्यक्ति को इस तरह से पढ़ा गया था कि "गैस" अभिव्यक्ति "गैस कार्य" से रंग लेना चाहिए। यह स्पष्ट है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि प्राकृतिक गैस को उक्त प्रविष्टि से बाहर रखा गया था और वास्तव में, प्रविष्टि 53, सूची I का हिस्सा था, जो "पेट्रोलियम" अभिव्यक्ति के भीतर था। ऐसी व्याख्या का विस्तार किसी ऐसे विषय पर करना संभव नहीं होगा जो उसी प्रविष्टि [2018] 2 एस. सी. आर. में निहित किसी अन्य विषय वस्तु से सीधे तौर पर जुड़ा न हो।

ऋणग्रस्तता को धन ऋण के भीतर समाहित कर लिया गया होगा और

साहूकारों को "और एक विषय वस्तु के रूप में जोड़ना पूरी तरह से अनावश्यक होता जो" साहूकारों और साहूकारों "से अलग और अलग होता। यह कि "धन उधार और साहूकार" "कृषि ऋण की राहत" से अलग और अलग हैं, इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि धन उधार केवल कृषि क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके दायरे में सभी व्यक्तियों को दिया गया धन भी शामिल होगा, जिसमें विशुद्ध रूप से ऋण देने वाले भी शामिल हैं।

वाणिज्यिक लेन-देन। इसके अलावा, सातवीं अनुसूची में कई विषय हैं जो एक प्रविष्टि में निहित हैं, लेकिन जो अलग-अलग मामलों से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए प्रविष्टि 5, सूची III सात पूरी तरह से अलग-अलग विषयों से संबंधित है, जो सभी प्रविष्टि 5 के तहत एक साथ बंधे हैं और अर्धविराम द्वारा अलग किए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक विषय वस्तु प्रत्येक अर्धविराम से अलग और अलग है। 3 इसी तरह, प्रविष्टि 6, सूची 3 कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित है, जो

विलेखों और दस्तावेजों के पंजीकरण से एक अर्धविराम। एक प्रविष्टि 12, सूची III साक्ष्य से संबंधित है और इस प्रकार, इसे अर्धविराम द्वारा कानूनों, सार्वजनिक कृत्यों और अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाही की मान्यता से अलग किया जाता है। 5 जाहिर है, संविधान की सातवीं अनुसूची में निहित सूचियों में विभिन्न प्रविष्टियों में विषयों को रखने में कोई वैज्ञानिक विधि शामिल नहीं है। सुश्री खजुरिया की वैकल्पिक दलील कि "कृषि ऋण से राहत" अन्यथा अपने आप में एक अलग प्रविष्टि होगी इसलिए इसे भी अस्वीकार कर दिया जाए। इसके अलावा, कृषि ऋण से राहत का उद्देश्य किसान को प्रतिकूल प्राकृतिक कारणों से उपजे ऋण के बंधनों से मुक्त करना है, और प्रतिकूल प्राकृतिक कारणों के मामले में ऋण राहत आवश्यक होगी, जो भी ऋण का स्रोत हो। यदि सुश्री खजुरिया सही हैं, तो एक किसान को केवल साहूकारों से ही बचाया जाएगा, लेकिन बैंकों से नहीं, जिससे उसे नुकसान होगा।

इसकी अधिकांश सामग्री की प्रविष्टि।

प्रविष्टि 5, सूची 3: विवाह और तलाक; शिशु और नाबालिग; गोद लेना; वसीयत, निर्विकारता और उत्तराधिकार; संयुक्त परिवार और विभाजन; वे सभी मामले जिनके संबंध में न्यायिक कार्यवाही में पक्षकार इस संविधान के प्रारंभ से तुरंत पहले थे, उनके व्यक्तिगत कानून के अधीन थे।

4 प्रविष्टि 6, सूची III: कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति का हस्तांतरण; विलेखों और दस्तावेजों का पंजीकरण। 5 प्रविष्टि 12, सूची III: साक्ष्य और शपथ; कानूनों, सार्वजनिक कृत्यों और अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाही की मान्यता।

संभव है। कई निर्णयों में अनुच्छेद 246 के दायरे पर चर्चा की गई है। होक्स्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम। बिहार राज्य, (1983) 3 एससीआर 130 162-63 और 165-66 में, इस न्यायालय ने संघीय सर्वोच्चता सिद्धांत को इस प्रकार निर्धारित कियाः

" यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 246 संघ और राज्य विधानसभाओं की विधायी शक्तियों पर सीमाएं लगाता है और इसके अंतिम विश्लेषण से निम्नलिखित आवश्यक बातें सामने आएंगीः 1. संसद के पास सूची-1 में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है।

खंड (2) और (3) में निहित है। अनुच्छेद में गैर-बाध्यकारी खंड

कानून। 2. राज्य विधानमंडल के पास सातवीं अनुसूची की सूची II में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में ऐसे राज्य या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की विशेष शक्ति है और उसे सूची III में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की भी शक्ति है। सूची-2 में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में विधान बनाने की राज्य विधानमंडल की अनन्य शक्ति का प्रयोग खंड (1) के अधीन किया जाना चाहिए, अर्थात -

संसद सूची I में उल्लिखित मामलों के संबंध में कानून बनाएगी। इसके परिणामस्वरूप, यदि सूची में किसी प्रविष्टि के बीच कोई टकराव है

I और सूची II में एक प्रविष्टि जो सुलह करने में सक्षम नहीं है,

किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति

सूची II में उल्लिखित अभ्यास को प्रतिस्थापित करना चाहिए

राज्य विधानमंडल की शक्ति।

सूची III में। XXX XXX XXX

खंड (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद शब्द और (3) " अनुच्छेद 246 (1) में और अनुच्छेद 246 (3) में "खंड (1) और (2) के अधीन" शब्द संघीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को निर्धारित करते हैं।

अर्थात्। कि संघ और राज्य शक्तियों के बीच अपरिहार्य संघर्ष के मामले में, सूची I में उल्लिखित संघ शक्ति सूची II और III में उल्लिखित राज्य शक्ति पर प्रबल होगी, और सूची II और III के बीच अतिव्यापी होने की स्थिति में, सूची II और सूची III के बीच अतिव्यापी होने की स्थिति में, सूची I में उल्लिखित संघ शक्ति राज्य शक्ति पर प्रबल होगी।

" संघ और राज्य सूचियों में प्रविष्टियों के बीच अपरिवर्तनीय संघर्ष। दोनों सूचियों में प्रविष्टियों के बीच प्रतीत होने वाले टकराव के मामले में, प्रविष्टियों को दोनों में से किसी को भी संकीर्ण और सीमित अर्थ दिए बिना एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। दूसरा, एक प्रयास यह देखने के लिए बनाया जाना चाहिए कि क्या दोनों प्रविष्टियों का मिलान नहीं किया जा सकता है ताकि अधिकार क्षेत्र के टकराव से बचा जा सके। यह विचार किया जाना चाहिए कि क्या संघ विधायी सूची की भाषा को एक ऐसा अर्थ देकर एक निष्पक्ष सुलह प्राप्त किया जा सकता है जो, यदि किसी अन्य संदर्भ में इसकी तुलना में कम व्यापक हो, तो भी इसे उचित रूप से दिया जा सकता है और राज्य विधायी सूची की भाषा को समान रूप से एक अर्थ दिया जा सकता है जिसे यह उचित रूप से सहन कर सकता है। अनुच्छेद 246 (1) में अबाधित खंड केवल तभी काम करना चाहिए जब इस तरह का सुलह असंभव साबित होना चाहिए। तीसरा, दोनों सूचियों के बीच टकराव का कोई सवाल ही नहीं उठेगा यदि विवादित कानून,

"पीठ और पदार्थ" के सिद्धांत के अनुप्रयोग से ऐसा प्रतीत होता है कि यह विशेष रूप से एक सूची के अंतर्गत आता है, और दूसरी सूची पर अतिक्रमण केवल आकस्मिक है।

" यह एक मौलिक धारणा है कि विधायी शक्तियाँ केंद्र और प्रांतों का एक दूसरे के साथ संघर्ष करने का इरादा नहीं हो सकता था और इसलिए, हमें उन्हें एक साथ पढ़ना चाहिए, और जयंत वर्मा और ओआरएस।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

दूसरे की भाषा "। " इस तरह के सभी मामलों में न्यायालय के समक्ष प्रश्न ",

विद्वान मुख्य न्यायाधीश के लिए यह नहीं है कि कैसे दो विधायी शक्तियाँ

सैद्धांतिक रूप से समझने में सक्षम हैं, लेकिन वे कैसे हैं

यहाँ और अभी समझा जाए "।

(जोर दिया गया)

श्री भूषण, सुधीर द्वारा उद्धृत निर्णय का भी यही प्रभाव है।

चंद्र नावन बनाम। डब्ल्यू. टी. ओ., (1969) 1 एस. सी. आर. 108 113 पर, जहाँ न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" संसद को कानून बनाने की विशेष शक्ति प्रदान की गई है -

खंड (2) में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद, प्रयोग करने योग्य (3) , जिसे खंड (3) में यह उपबंध करके अधिक सशक्त बनाया गया है कि -

किसी भी राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की विशेष शक्ति है -

किसी भी मामले के संबंध में ऐसा राज्य या उसका कोई भाग

सातवीं अनुसूची में सूची II में सूचीबद्ध, लेकिन खंडों के अधीन

(1) और (2)। इसलिए राज्य विधानमंडल की विशेष शक्ति है

खंड (1) के अधीन रहते हुए प्रयोग की जाने वाली अनन्य शक्ति जो

संसद के पास सूची I में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में है। यह मानते हुए कि प्रविष्टि 86 सूची I और के बीच एक संघर्ष है

प्रविष्टि 49 सूची II, जो सुलह करने में सक्षम नहीं है, शक्ति

संसद के किसी ऐसे मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए जो विशेष रूप से इसे सौंपी गई शक्ति के प्रयोग को प्रतिस्थापित करना चाहिए

राज्य विधानमंडल "।

(जोर दिया गया)

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि अनुच्छेद 246 केवल यह बताता है कि जहाँ दो

क्रमशः संघ सूची और राज्य सूची में प्रविष्टियों का टकराव होता है और वे अपरिवर्तनीय होते हैं, फिर, अंतिम उपाय के रूप में, राज्य सूची में प्रविष्टि संघ सूची में प्रविष्टि को रास्ता देना है। लेकिन, यह केवल अंतिम उपाय है। सबसे पहले, यह न्यायालय का दायित्व है कि वह सामंजस्य स्थापित करे प्रविष्टियाँ, यदि संभव हो, तो दोनों को प्रभावी बनाकर और उनमें से किसी एक को अप्रभावी न बनाकर। इस प्रकार, कलकत्ता गैस कंपनी (स्वामित्व) लिमिटेड बनाम। राज्य डब्ल्यू. बी., 1962 सप्लीमेंट (3) एस. सी. आर. 1 13 पर, 17-19, न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" विधान बनाने की शक्ति उपयुक्त विधानमंडलों को दी जाती है - संविधान का अनुच्छेद 246। तीन सूचियों में प्रविष्टियाँ [2018] 2 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केवल विधायी प्रमुख या विधान के क्षेत्रः वे उस क्षेत्र का सीमांकन करते हैं जिस पर उपयुक्त विधानसभाएँ काम कर सकती हैं। यह है।

यह भी अच्छी तरह से तय किया गया कि प्रविष्टियों की भाषा को व्यापक आयाम दिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ प्रविष्टियाँ अलग-अलग

सूचियाँ या एक ही सूची में ओवरलैप हो सकती हैं और कभी-कभी भी हो सकती हैं

एक-दूसरे के साथ सीधे संघर्ष में प्रतीत होते हैं। तब इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह प्रविष्टियों का मिलान करे और उनके बीच सामंजस्य लाए। XXX XXX XXX

सूची II में प्रविष्टि 24 अपने सबसे व्यापक आयाम में सभी उद्योगों में होती है,

प्रविष्टि 25 से बाहर निकाले जाने पर उक्त प्रविष्टि का आधार गायब हो जाएगाः उस स्थिति में हम संविधान के लेखकों की अयोग्यता, सटीकता की कमी और तानाशाही को जिम्मेदार ठहराएंगे। दूसरी ओर, वैकल्पिक विवाद प्रविष्टियों 24 और 25 को अपने-अपने क्षेत्रों में पूरी तरह से काम करने में सक्षम बनाता हैः जबकि प्रविष्टि 24 में एक बहुत व्यापक क्षेत्र शामिल है, यानी पूरे उद्योग का क्षेत्र राज्य, प्रविष्टि 25, गैस और गैस-कार्यों से संबंधित, एक विशिष्ट उद्योग, यानी गैस उद्योग तक सीमित हो सकता है। संविधान के लेखकों के अलग-अलग देने के कई अच्छे कारण हो सकते हैं।

गैस और गैस का उपचार-काम करता है। यदि कोई अनुमान लगा सकता है, तो यह हो सकता है कि गैस और गैस का उद्योग एक या जयंत वर्मा और ओआरएस तक ही सीमित था।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

दो राज्य और अखिल भारतीय महत्व के नहीं थे, इसे प्रविष्टि 24 से अलग किया गया था और एक अलग प्रविष्टि दी गई थी, अन्यथा यदि संसद द्वारा सूची I की प्रविष्टि 7 या प्रविष्टि 52 के अर्थ के भीतर कानून द्वारा घोषणा की गई थी, तो इसे राज्यों की विधायी शक्ति से बाहर कर दिया जाएगा। चाहे वह हो, संविधान का स्पष्ट इरादा सामान्य समय में इसे राज्य के विषय के रूप में मानना है और ऐसा करने के कारणों का पता लगाना और उनकी जांच करना इस न्यायालय के प्रांत में नहीं है। यह सुझाव दिया जाता है कि यह व्याख्या संसद को गैस और गैस के संबंध में कानून बनाने से रोकेगी।

युद्ध या अन्य राष्ट्रीय आपातकाल। इस तरह के विचार की प्रासंगिकता के अलावा, आशंका का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 249 के तहत संसद किसी भी मामले को कानून बनाने के लिए सक्षम है जो विशेष रूप से सूची II में गिना गया है जब भी राज्य परिषद दो-तिहाई बहुमत से संकल्प लेती है कि ऐसा कानून राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन है। तो। यदि आपातकाल की घोषणा लागू है तो अनुच्छेद 250 के तहत संसद राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बना सकती है। अनुच्छेद 252 संसद को अधिकृत करता है।

दो या दो से अधिक राज्यों के लिए कानून बनाना, यदि उन राज्यों की विधानसभाओं के सदन उक्त पाठ्यक्रम के लिए अपनी सहमति देते हैं। इस तरह की आपात स्थिति या असाधारण शक्तियों के अधीन, गैस और गैस-कार्यों का पूरा उद्योग एक राज्य की अनन्य विधायी क्षमता के भीतर है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि राज्य की ओर से सुझाए गए सामंजस्यपूर्ण निर्माण की योजना पूर्ण और

दोनों प्रविष्टियों के लिए उनके संबंधित क्षेत्रों में संचालन की प्रभावी गुंजाइश, जबकि अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा सुझाए गए सुझाव प्रविष्टि 25 को इसकी सभी सामग्री से वंचित करते हैं और यहां तक कि इसे निरर्थक भी बनाते हैं। इसलिए, पूर्व व्याख्या को स्वीकार किया जाना चाहिए

बाद वाले को वरीयता दें। इस दृष्टिकोण से, गैस और गैस-कार्य राज्यों को आवंटित विशेष क्षेत्र के भीतर हैं। इस व्याख्या पर विद्वान महान्यायवादी का तर्क है कि अनुच्छेद 246 के तहत

संविधान के अनुसार, राज्य की विधायी शक्ति संसद की शक्ति के अधीन है, क्योंकि गैस उद्योग संसद के विधायी क्षेत्र से बाहर है और राज्य के विधानमंडल के अनन्य क्षेत्र के भीतर है। इसलिए हमारा मानना है कि विवादित अधिनियम पश्चिम बंगाल विधानमंडल की विधायी क्षमता के भीतर था और इसलिए इसे वैध रूप से बनाया गया था।

(जोर दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17. इस स्तर पर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम में इस टी के निर्णय का विज्ञापन करना महत्वपूर्ण है। रवींद्र, (2002) 1 एस. सी. सी. 367 इस निर्णय में कहता हैः

" 55. सुनवाई के दौरान यह हमारे संज्ञान में लाया गया कि कई ब्याज कानूनों और लागू ऋण राहत कानूनों को देखते हुए

कई राज्यों का निजी ऋण लगभग समाप्त हो गया है और जरूरतमंद उधारकर्ता वित्तीय सुविधाओं के लिए बड़े पैमाने पर बैंकिंग संस्थानों पर निर्भर हैं। कई अस्वास्थ्यकर प्रथाएँ धीरे-धीरे

इस क्षेत्र में, खुद को अनजाने में एक जाल में फंसते हुए पाते हैं और खुद को उत्तरदायी और ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य पाते हैं जिसका अंत विनाशकारी साबित हो सकता है। कभी-कभी प्रभारित और पूंजीकृत ब्याज वास्तव में राशि से कई गुना अधिक होता है।

उन्नत। दमदुपत का नियम लागू नहीं होता है। दंडात्मक ब्याज, सेवा शुल्क और अन्य अधिभार के खाते में डेबिट किए जाते हैं।

उधारकर्ता और पूंजीकृत जिसके डेबिट के बारे में उधारकर्ता को पता भी नहीं होगा। यदि तिमाही विश्राम पर ब्याज वसूलने की प्रथा को बरकरार रखा जाता है और न्यायिक मान्यता दी जाती है, तो बेईमान बैंक मासिक विश्राम पर भी ब्याज वसूलने का सहारा ले सकते हैं और

उसी को पूंजीकृत करें। बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं को कई बार प्रदान किए गए खातों के विवरणों में डेबिट प्रविष्टियों का विवरण या विवरण नहीं होता है और जब हाथ में लिखा जाता है तो वे उधारकर्ताओं की आंखों और बुद्धि की परीक्षा करने वाले चिकित्सा निर्देशों से भी बदतर होते हैं।

अनैतिक, अनुचित और अस्वास्थ्यकर लेन-देन के उदाहरण कई गुना बढ़ सकते हैं, हालांकि उन्हें सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि ऐसे मुद्दों को निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ना होगा।

उचित मामलों में जब वास्तव में निर्णय के लिए उत्पन्न होता है और हम ऐसे मुद्दों पर कानून बनाने का साहस नहीं कर सकते हैं जो हमारे सामने निर्धारण के लिए उत्पन्न नहीं होते हैं। हालाँकि, हम रखने का प्रस्ताव करते हैं

कुछ आनुषंगिक टिप्पणियों को दर्ज करते हुए, जिनके बिना, हम महसूस करते हैं, हमारा उत्तर पूर्ण नहीं होगा और हम निम्नानुसार करते हैंः

XXX XXX XXX जयंत वर्मा और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(6) कृषि ऋण को एक अलग आधार पर माना जाना चाहिए।

भारत में वार्षिक या छह-मासिक को छोड़कर ऋण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह उस क्षेत्र में फसलों के आवर्तन पर निर्भर करता है जहाँ

कृषक कर्जदार हैं "।

(जोर दिया गया)

इस तथ्य को देखते हुए कि वर्तमान में कृषि ऋण मुख्य रूप से

सहकारी और अन्य बैंकों द्वारा किसानों को सुझाई गई विधि

आर. भूषण, जो बैंकों को "राहत की प्रविष्टि" से बाहर करता है

अति ऋण ", इसके अधिकांश भाग की उपरोक्त प्रविष्टि को छीन लेगा।

और इसे काफी हद तक विषम बना देते हैं।

18. परस्पर विरोधी प्रविष्टियों के मिलान के एक अन्य तरीके पर चर्चा की गई

औसतन जूट मिल्स कं. लिमिटेड बनाम। रेमन एंड कंपनी (इंडिया) (पी) लिमिटेड,

) 3 219-220 पर एससीआर 209 निम्नानुसार हैः

" निर्माण का नियम निस्संदेह अच्छी तरह से स्थापित है कि सूचियों में प्रविष्टियों को व्यापक रूप से समझा जाना चाहिए न कि संकीर्ण रूप में।

या पांडित्यपूर्ण भावना। लेकिन अपीलार्थियों को फोन करने की कोई आवश्यकता नहीं है

उनके विवाद की सहायता के लिए यह नियम, जैसा कि व्यापार और वाणिज्य करेंगे,

उनके सामान्य और स्वीकृत अर्थों में, अग्रिम अनुबंध शामिल हैं।

यही वह दृष्टिकोण था जो भुवाल्का ब्रदर्स में अपनाया गया था।

लिमिटेड मामला [ए. आई. आर. (1952) कैल 740] और जिसने खुद की सराहना की यह न्यायालय दुनी चंद रतेरिया मामले में [(1955) 1 एस. सी. आर. 1071]।

इसलिए, अगर सवाल केवल यह था कि क्या फॉरवर्ड पर कोई कानून है

अनुबंध व्यापार और वाणिज्य के संबंध में एक कानून होगा,

इसका सकारात्मक जवाब देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन

सूची I. चूंकि दोनों प्रविष्टियाँ पारस्परिक रूप से अनन्य शक्तियों से संबंधित हैं दो अलग-अलग विधानसभाओं में, सवाल यह है कि ये दोनों कैसे हैं

सुलह कर लीजिए। अब यह निर्माण के साथ-साथ स्थापित नियम भी है।

जिस पर अपीलार्थी भरोसा करते हैं कि सूचियों में प्रविष्टियाँ

यह इस तरह से समझा जाना चाहिए कि उन सभी को प्रभावी बनाया जाए और

निर्माण जिसके परिणामस्वरूप उनमें से कोई भी व्यर्थ हो जाएगा

या ओटियोस से बचना चाहिए। इस से यह पता चलता है कि जहाँ

दो प्रविष्टियाँ हैं, एक अपने चरित्र में सामान्य और दूसरी विशिष्ट,

पूर्व को बाद वाले को छोड़कर माना जाना चाहिए। यह केवल सामान्य उक्ति का एक अनुप्रयोग कि जनरलिया स्पेशलिबस [2018] 2 एस. सी. आर.

गैर अपमानजनक। यह स्पष्ट है कि यदि प्रविष्टि 26 का अर्थ इस प्रकार लगाया जाना है -

अग्रिम अनुबंधों को समझना, फिर "वायदा बाजार" में प्रविष्टि 48 बेकार हो जाएगी। इसलिए हमारी राय है

कि अग्रिम अनुबंधों पर कानून को इसके दायरे में रखा जाना चाहिए सूची I में प्रविष्टि 48 के तहत संघ की अनन्य क्षमता।

(जोर दिया गया)

19. प्रविष्टि 45, सूची I के तहत सामान्य प्रविष्टि "बैंकिंग" क्या है, जो

सभी प्रकार के बैंकों और बैंकों द्वारा ऋण देने के साथ-साथ वसूली से संबंधित है। आम तौर पर बैंकों द्वारा ऋणों की संख्या, प्रविष्टि 30, सूची 2, जो कृषि ऋण की राहत से संबंधित है, विशेष है, क्योंकि ऋण स्वयं बैंकिंग की केवल एक प्रजाति है और कृषि ऋण इसकी एक उप-प्रजाति है। ऋण की प्रजातियाँ प्रविष्टि 45, सूची I में हैं, जबकि कृषि ऋण की उप-प्रजातियाँ प्रविष्टि 18, सूची II में हैं। यह केवल कृषि ऋण की राहत है, जो ऋण की एक उप-प्रजाति है, जो प्रविष्टि 30, सूची II से संबंधित है। इसके अलावा, हमें इस मोड़ पर उस संशोधन को भी ध्यान में रखना चाहिए जिसे श्री शिब्बन लाल सक्सेना ने संविधान सभा में मसौदा प्रविष्टि 34 (यानी प्रविष्टि 30), सूची II को समवर्ती सूची में लाने के लिए पेश करने की मांग की थी। यह इस प्रकार किया गया थाः

" प्रविष्टि 34

प्रो. शिबबन लाल सक्सेनाः महोदय, मैं आगे बढ़ने की विनती करता हूँः " सूची II की उस प्रविष्टि 34 को सूची III में स्थानांतरित कर दिया जाए।

यह एक महत्वपूर्ण संशोधन है। मैं चाहूंगा कि सदन को इसका एहसास हो।

समस्या का परिमाण। हम सभी ग्रामीण इलाकों का सफाया करना चाहते हैं।

ऋणग्रस्तता। महोदय, इस संबंध में मैं पढ़ना चाहूंगा आर्थिक विकास के लिए लोगों की योजना से उद्धरण

" इसके साथ-साथ दूसरी समस्या जिसका समाधान करना होगा पुरानी भूमि कार्यकाल प्रणाली की समस्या, होगी समस्या

ग्रामीण ऋण। कुल ग्रामीण ऋण का अनुमान लगाया गया था।

वर्ष 1929 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति द्वारा

लगभग 900 करोड़ रुपये। हालांकि बाद के अनुमानों में कहा गया है,

इस आंकड़े को बहुत उच्च स्तर पर रखें। अनुमान के अनुसार

रिजर्व के कृषि ऋण विभाग की रिपोर्ट

वर्ष 1937 में बैंक ऑफ इंडिया लगभग 1800 करोड़ रुपये का था। यह. यह संभव नहीं है कि यह किसी भी महत्वपूर्ण जयंत वर्मा और ओआरएस तक कम हो गया हो।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

वर्ष 1937 के बाद से, न ही वर्तमान में तथाकथित कृषि उछाल ने बहुत बड़ी कटौती की है। देश में साहूकार कृषि आबादी के उस वर्ग में अधिक हावी है जो अपेक्षाकृत बदतर स्थिति में है।

नीचे और फिर राज्य द्वारा लिया गया। उदाहरण के लिए, मद्रास प्रांत में इस दिशा में किए गए प्रयोग एक उपयोगी सूचक। 1938 के मद्रास कृषि राहत अधिनियम के तहत, ऋणों में लगभग 47 प्रतिशत की कमी की गई थी और अधिनियम के प्रावधानों को किसी भी तर्क से कठोर नहीं माना जा सकता है। पंजाब में, ऋण के संचालन के तहत

इस प्रकार किराया प्राप्तकर्ताओं के साथ-साथ सूदखोरों को दिया जाने वाला मुआवजा रु। 1985 करोड़। इसका भुगतान राज्य द्वारा जारी स्व-परिसमापन बांड के रूप में किया जाना चाहिए। ये 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर 40 वर्ष की अवधि के लिए होने चाहिए और राज्य द्वारा अनिवार्य रूप से अपने खाते में रखे जाने चाहिए। अधिकार। इन बॉन्डों के लिए राज्य द्वारा किया जाने वाला वार्षिक भुगतान लगभग रु। 60 करोड़।

इन प्रारंभिक उपायों को लागू करने पर किसानों के हित में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था की सफलता निर्भर करेगी। जब तक यथास्थिति को इस तरह से नहीं बदला जाता है, तब तक हमारे किसानों के जीवन स्तर में सुधार की कोई उम्मीद नहीं हो सकती है, और इसलिए, देश में मजबूत, स्थिर और सुरक्षित नींव पर एक औद्योगिक संरचना के निर्माण की कोई उम्मीद नहीं है। हम उपरोक्त उपायों को पूरा करने के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से अवगत हैं

लेकिन हम उनके लिए कोई भी विकल्प नहीं देख पा रहे हैं। "(2018) 2 एस. सी. आर.

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अगर हम वास्तव में कृषि को हटाना चाहते हैं

ऋणग्रस्तता, समस्या का समाधान केवल की गई कार्रवाई से नहीं किया जा सकता है

अलग-अलग राज्यों द्वारा। केवल एक व्यापक योजना और इसकी साहसिकता

केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग से निष्पादन राज्य सरकारों के साथ मिलकर इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यह है।

इसलिए मैंने सुझाव दिया है कि यह प्रविष्टि होनी चाहिए

सूची III में स्थानांतरित किया गया।

मुझे लगता है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसका चेहरा नहीं बदल सकते। हमारा देश और हम अपने सपनों के 'भारत' को साकार नहीं कर सकते।

जब तक हम एक व्यापक योजना नहीं अपनाते हैं और हमारे पास अधिकार नहीं हैं

केंद्र और प्रांतों की गतिविधियों का समन्वय करना। आई. इसलिए गंभीरता से विचार करने के लिए मेरे संशोधन की सराहना करें।

घर से।

अध्यक्ष महोदयः सवाल यह हैः

" लिस्ट II की उस प्रविष्टि 34 को लिस्ट इल में स्थानांतरित कर दिया जाए।

संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया था।

अध्यक्ष महोदयः सवाल यह हैः

" वह प्रविष्टि संख्या 34 सूची II का हिस्सा है।

प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया।

प्रविष्टि 34 को राज्य सूची में जोड़ा गया था।

(जोर दिया गया)

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संशोधन को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था।

कृषि और कृषि के पहलू विशेष रूप से दिए गए हैं

एस. यह सूची-2 की प्रविष्टियों 14,18,45 से लेकर 48 तक से स्पष्ट होगा।

प्रविष्टि 30, सूची II, जो निम्नानुसार हैः

" 14. कृषि शिक्षा और अनुसंधान सहित कृषि, कीटों से सुरक्षा और पादप रोगों की रोकथाम।

18. भूमि, अर्थात, भूमि में या उस पर अधिकार, भूमि कार्यकाल सहित

मकान मालिक और किरायेदार का संबंध, और किराए का संग्रह; कृषि भूमि का हस्तांतरण और अलगाव; भूमि में सुधार और

कृषि ऋण; उपनिवेशीकरण।

45. मूल्यांकन और संग्रह सहित भूमि राजस्व राजस्व, भूमि अभिलेखों का रखरखाव, राजस्व के लिए सर्वेक्षण

अधिकारों के उद्देश्य और अभिलेख, और राजस्व का अलगाव।

जयंत वर्मा और हमारा। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

46. कृषि आय पर कर।

47. कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में कर्तव्य। 48. कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क "।

प्रविष्टियाँ 82,86,87 और 88, सूची I और प्रविष्टियाँ 6 और 7, सूची III में भी विशेष रूप से कृषि को शामिल नहीं किया गया हैः

" 82. कृषि आय के अलावा अन्य आय पर कर।

86. व्यक्तियों और कंपनियों की कृषि भूमि को छोड़कर परिसंपत्तियों के पूंजी मूल्य पर कर;

कंपनियाँ।

87. कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति के संबंध में संपदा शुल्क। 88. इसके अलावा अन्य संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में कर्तव्य

कृषि भूमि।

XXX XXX XXX

6. कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति का हस्तांतरण; विलेखों और दस्तावेजों का पंजीकरण।

7. साझेदारी, एजेंसी, परिवहन के अनुबंध और अनुबंधों के अन्य विशेष रूपों सहित अनुबंध, लेकिन कृषि भूमि से संबंधित अनुबंध शामिल नहीं हैं।

चित्र को पूरा करने के लिए, प्रविष्टि 41, सूची III में विज्ञापन देना भी महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार हैः

" 41. कानून द्वारा निर्वासित संपत्ति घोषित संपत्ति (कृषि भूमि सहित) की अभिरक्षा, प्रबंधन और निपटान।

जहाँ तक कृषि का संबंध है, संवैधानिक योजना यह है कि यह एक अपवाद के अधीन एक अनन्य राज्य है-कि कानून द्वारा निकासी संपत्ति घोषित संपत्ति की अभिरक्षा, प्रबंधन और निपटान में कृषि भूमि शामिल है, और इसे एक समवर्ती विषय बनाता है।

20. इस मामले में, दोनों प्रविष्टियों को दोनों को प्रभाव देकर सबसे अच्छा सामंजस्य बनाया जाता है। यह तभी किया जा सकता है जब कृषि को राहत मिले। ऋण में सहकारी और अन्य दोनों प्रकार के बैंकों को शामिल करना है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्रविष्टि 18, सूची 2 राज्यों को "भूमि सुधार और कृषि ऋण" पर कानून बनाने की विशेष शक्ति देती है। प्रविष्टि 45, सूची I अक्षुण्ण रहेगी और इसमें कृषि ऋण की राहत होगी, जो, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, ऋण की एक उप-उप-प्रजाति है, जो अपने आप में बैंकिंग के कई पहलुओं में से एक है।

21. अब हम पिथ और पदार्थ और आनुषंगिक खाई के सिद्धांत पर आते हैं। इस प्रकार प्रविष्टि 45, सूची I और प्रविष्टि 30, सूची II में "कृषि ऋण की राहत" में "बैंकिंग" के संबंधित क्षेत्रों को चित्रित करने के बाद, हमें धारा 21 ए सहित समग्र रूप से बैंकिंग विनियमन अधिनियम के सार और सार को देखना होगा।

22. हम पहले ही यह मान चुके हैं कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, सार और सार में, प्रविष्टि 45, सूची I के अंतर्गत आता है, लेकिन हमारे

सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 45, सूची I और प्रविष्टि 30, सूची II की व्याख्या से यह स्पष्ट है कि जहां तक कृषि ऋण से राहत का संबंध है, धारा 21 ए निश्चित रूप से प्रविष्टि 30, सूची II पर खाई डालती है, जिसे ऊपर बताए गए तरीके से पढ़ा जाता है। जैसा कि अच्छी तरह से तय किया गया है, पीठ और सार का सिद्धांत केवल एक विधान को समग्र रूप से देखने और यह देखने के लिए है कि क्या, समग्र रूप से, यह सातवीं अनुसूची की सूची I या सूची II की एक या दूसरी प्रविष्टि के भीतर आता है। जबकि इस प्रकार समग्र रूप से एक सूची के भीतर आता है, एक विधानमंडल द्वारा अधिनियमित एक विशेष अधिनियम के कुछ प्रावधान संयोग से दूसरे विधानमंडल को विशेष रूप से दिए गए निषिद्ध क्षेत्र पर खाई डाल सकते हैं। इस तरह की आकस्मिक खाई खोदने के संबंध में कानून की क्या स्थिति है? 23. सुब्रमण्यन चेट्टियार बनाम। मुत्तुस्वामी गौंडन, ए. आई. आर. 1941 एफ. सी. 47, संघीय न्यायालय को मद्रास कृषि राहत अधिनियम, 1938 की संवैधानिक वैधता का सामना करना पड़ा। ग्वेयर, सी. जे. ने बहुमत के लिए बोलते हुए पाया कि मद्रास अधिनियम ग्रामीण ऋण की समस्या से बहुत कठोर तरीके से निपटने का एक प्रयास है "जिसने सोलन के दिनों से ही विधायकों को परेशान किया है"। संघीय अदालत के समक्ष जो सटीक सवाल उठा वह यह था कि क्या मद्रास अधिनियम में अतिक्रमण किया गया था।

प्रविष्टि 28, सूची I द्वारा कवर किया गया संघीय क्षेत्र, जहां संघीय विधानमंडल के पास अन्य बातों के साथ-साथ वचन पत्रों के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 79 मद्रास अधिनियम से स्पष्ट रूप से टकराती है, जिसमें एक वचन पत्र में जहां एक निर्दिष्ट दर पर ब्याज स्पष्ट रूप से देय किया जाता है, ब्याज की गणना की जानी है।

उस दर पर भुगतान तक या राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर करने के बाद की ऐसी तारीख तक, जैसा कि न्यायालय निर्देश देता है। मद्रास के रूप में अधिनियम इस तरह के ब्याज को कम करता है, मद्रास अधिनियम और परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों के बीच एक सीधा टकराव अपरिहार्य हो गया।

24. बहुमत ने मद्रास अधिनियम को पूरी तरह से बरकरार रखते हुए इस सवाल का जवाब दिया क्योंकि यह एक अधिनियम था, जो मद्रास अधिनियम के रूप में "धन उधार देने वाले और साहूकारों" से संबंधित था। यह वचन पत्र पर नहीं, बल्कि एक डिक्री पर संचालित होता था जिसमें जयंत वर्मा और ओआरएस होते थे।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

वचन पत्र का विलय हो गया था और इस प्रकार यह एक निर्णय-ऋण बन गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह अधिनियम न तो किसी दायित्व को प्रभावित करता है और न ही किसी दायित्व को प्रभावित करने के लिए अभिप्रेत है

एक वचन पत्र पर।

25. हालाँकि, इसे रखने के बाद, बहुमत ने इसके माध्यम से बात की

ग्वायर, सी. जे. ने कहाः

" लेकिन हालाँकि, जैसा कि मैंने कहा है, मैं उन सभी पर अपनी राय सुरक्षित रखता हूँ,

मैं नहीं चाहता कि यह मान लिया जाए कि मैं इस विचार को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं।

मद्रास उच्च न्यायालय का कहना है कि विवादित अधिनियम वास्तव में नहीं है परक्राम्य लिखत अधिनियम में सन्निहित सिद्धांतों को प्रभावित करना,

क्योंकि, यह प्रस्ताव मुझे बहुत अधिक व्यापक रूप से कहा गया प्रतीत होता है। मुझे संदेह है।

क्या कोई प्रांतीय अधिनियम, देनदारों की राहत के रूप में हो सकता है

अधिनियम, मूल रूप से बातचीत के सिद्धांत, या अधिकारों को प्रभावित करता है

मूल्य के लिए एक वास्तविक हस्तांतरणकर्ता। शायद स्थिति अलग है।

जहाँ वचन पत्र ने कभी हाथ नहीं बदले हैं और उस पर मुकदमा चलाया जाता है मूल प्राप्तकर्ता द्वारा; और यह हो सकता है (हालांकि मैं निर्णय नहीं लेता)

प्रश्न) कि न्यायालय जैसे अधिनियम पर अब विचार किया जा रहा है

ऐसे मामलों में मूल ऋण पर काम कर सकते हैं, भले ही

लेनदार ने अपने ऋण के संबंध में एक वचन पत्र लिया है। अगर ऐसा है। अन्यथा, प्रांतीय विधानमंडलों की अधिनियमित करने की शक्ति थी

विशेष रूप से अपने स्वयं के क्षेत्र में उपचारात्मक कानून बहुत अच्छा होगा

बहुत बाधित; इतना, वास्तव में, कि केंद्रीय विधानमंडल

हो सकता है कि आप स्थिति की समीक्षा करने के लिए मजबूर हों। लेकिन ऐसा होगा।

शायद यह अनुचित है कि मुझे इस अवसर पर और अधिक कहना चाहिए।

(

पृष्ठ 52 पर)

(जोर दिया गया)

सुलेमान, जे., हालांकि, असहमत थे, और उनका मानना था कि

मद्रास अधिनियम और परक्राम्य लिखत अधिनियम के बीच टकराव, बाद वाला प्रबल होगा। इस तथ्य के बावजूद कि इस प्रकार निर्धारित कानून को एक असहमत निर्णय में होने के कारण प्रेरक मूल्य का नहीं कहा जा सकता है, फिर भी, विद्वान न्यायाधीश ने आकस्मिक खाई के सिद्धांत को बड़े पैमाने पर निपटाया।

विस्तार से, और कनाडा के मामलों का पालन किया, जिसे लॉर्ड टॉमलिन ने कनाडा बनाम अटॉर्नी जनरल में संक्षेप में प्रस्तुत किया। अंग्रेजों के लिए महान्यायवादी

कोलंबिया (1930 ए. सी. 111 पर 118) इस विषय पर चार स्पष्ट प्रस्तावों में, निम्नानुसारः

" कनाडा के संबंध में जो सिद्धांत विकसित किया गया है

मामले यह हैं कि यदि अतिक्रमण केवल आकस्मिक है, तो वहाँ [2018] 2 एस. सी. आर.

जब तक अतिक्रमण खाली मैदान पर है तब तक कोई दोष नहीं है।

आनुषंगिक अतिक्रमण के सिद्धांत पर उत्कीर्ण है

पी। 51 , जहाँ पहले के वचन पत्र पर देय राशि थी बंधक धन का हिस्सा बना, मैंने मामले को अलग किया

यह इंगित करते हुए कि सूट एक बंधक पर था

जाहिरा तौर पर स्पष्ट है, और इसलिए, हस्तक्षेप करने का सवाल वचन पत्र पर देय ब्याज प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न नहीं हुआ। नहीं।

विधान का विषय काफी हद तक धारा 92 के भीतर था, यह न केवल धारा 91 में उल्लिखित विषय पर संयोग से अतिक्रमण किया गया, लेकिन

उसी समय वास्तव में एक मौजूदा डोमिनियन के साथ संघर्ष हुआ कानून। उनके प्रभुओं द्वारा निर्धारित सिद्धांत चले गए हैं।

केवल एक आकस्मिक अतिक्रमण की अनुमति देने के लिए, बशर्ते कि

डोमिनियन क्षेत्र खाली है। अब तक किसी भी मामले में निर्णय नहीं लिया गया है

उनके अधिपतियों ने अतिक्रमण के साथ-साथ टकराव को भी बर्दाश्त किया। अगर टकराव होता है।

डोमिनियन कानून के साथ भी अनुमति दी गई थी, फिर एक प्रांतीय

विधायिका एक स्थिति में होगी, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से, रद्द करने के लिए

XXX XXX XXX अधिनियम की धारा 100 की योजना पूरी तरह से बाहर करने के लिए है

प्रांतीय विधानमंडल का अधिकार कानून बनाने की शक्ति

कठिनाइयाँ जो प्रांतीय विधानमंडलों को एक कठोर द्वारा अनुभव होंगी इस तरह के बहिष्कार को लागू करने के लिए हमें इसकी व्याख्या करनी चाहिए

कनाडाई सिद्धांत के आयात के संबंध में शब्द

आनुषंगिक अतिक्रमण की अनुमति, हमें तब

उसी समय अन्य संबद्ध सिद्धांत को भी आयात करते हैं कि इस तरह के अतिक्रमण की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब क्षेत्र वास्तव में

खाली है। यह केवल इस तरह से है कि वास्तविक टकराव के बीच

टॉमलिन का चौथा प्रस्ताव, कनाडा के अटॉर्नी जनरल (ऊपर) में, अर्थात्, ई एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जिसमें प्रांतीय और डोमिनियन कानून ओवरलैप हो सकते हैं, यदि कोई भी कानून अधिकार से बाहर नहीं होगा यदि क्षेत्र स्पष्ट है, लेकिन यदि क्षेत्र नहीं है और दोनों विधान डोमिनियन कानून को पूरा करते हैं, तो इस चेतावनी को पढ़ा जाना चाहिए।

जयंत वर्मा और हमारा। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

केंद्र और प्रांतों से बचा जा सकता है, जो मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए।

यह अधिनियम की धारा 107 (1) में स्पष्ट अंतर की भी व्याख्या करेगा, कि

धारा 100 के प्रावधानों द्वारा अंतराल को भरा जा रहा है।

(पृष्ठों पर 62-64)

(जोर दिया गया)

26. हालांकि, श्री भूषण ने हमें यह समझाने की कोशिश की कि निश्चित रूप से

फतेहचंद (उपरोक्त) में टिप्पणियों से यह स्पष्ट होता है कि आकस्मिक खाई और खाली क्षेत्र का सिद्धांत एक तरफा सड़क है, जैसा कि पहले था। सुब्रमण्यन चेट्टियार (ऊपर) में न्यायमूर्ति सुलेमान के असहमत निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सभी राज्य विधानों को एक केंद्रीय विधान को रास्ता देना होगा, भले ही कोई केंद्रीय विधान संयोग से राज्य के किसी विषय को प्रभावित करता हो, जो राज्य के विधान के अंतर्गत आता है। उन्होंने विशेष रूप से फतेहचंद (ऊपर) में अनुच्छेद 56 पर भरोसा किया। पैराग्राफ 56 एक लंबे अनुच्छेद का हिस्सा है।

चर्चा, पैराग्राफ 55 से शुरू होती है और पैराग्राफ 67 के साथ समाप्त होती है, जो एक तर्क से संबंधित है कि महाराष्ट्र ऋण राहत अधिनियम का वह हिस्सा, जो सोने के ऋण से संबंधित है, अमान्य है क्योंकि संसद ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इस प्रश्न का उत्तर प्रविष्टि का उल्लेख करके दिया गया था।

52 , सूची I और प्रविष्टि 24, सूची II। यह माना गया कि औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 ने स्वर्ण उद्योग के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है

प्रविष्टि 52, सूची I के तहत, जैसा कि स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1968 है, और इसलिए, प्रविष्टि 24, सूची II, प्रविष्टि 52, सूची I के अधीन होने के कारण, निष्क्रिय हो गया है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि प्रविष्टि 30, सूची II, जो धन उधार देने से संबंधित है, को निष्क्रिय कर दिया गया है और इसलिए, प्रविष्टि 30, सूची II के तहत बनाया गया महाराष्ट्र ऋण राहत अधिनियम बरकरार रहेगा। विद्वान न्यायाधीश ने सूची 3 की प्रविष्टियाँ 6 और 7 और संविधान के अनुच्छेद 254 (2) का भी उल्लेख करते हुए कहा कि यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि ऋण राहत अधिनियम अनुबंधों से संबंधित है, तो राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद, यह अनुच्छेद 254 (2) के आलोक में महाराष्ट्र राज्य में उपरोक्त केंद्रीय अधिनियमों पर प्रबल होगा। यह इस संदर्भ में है कि संसदीय सर्वोच्चता के बारे में सामान्य अवलोकन, निर्णय के अनुच्छेद 56 में किया गया है। जाहिर है कि जहां सूची II में एक प्रविष्टि स्वयं सूची I में संबंधित प्रविष्टि के अधीन है और अपेक्षित घोषणा द्वारा, संसद क्षेत्र पर कब्जा कर लेती है, राज्य विधानसभाओं को केवल इसलिए विधायी क्षमता से वंचित किया जाता है क्योंकि विशेष प्रविष्टि,

अर्थात् प्रविष्टि 24, सूची II, स्पष्ट रूप से प्रविष्टि 52, सूची I के अधीन है। जहाँ तक प्रविष्टि 45, सूची I और प्रविष्टि 30, सूची II का संबंध है, यह मामला नहीं है।

27. श्री भूषण ने तब एक सहमति वाले निर्णय पर भरोसा किया

रंगनाथन, जे. फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स बनाम।

भारत सरकार, (1989) 3 एस. सी. सी. 634। पैराग्राफ 74 में, विद्वान न्यायाधीश ने होटल रसीद कर अधिनियम, 1980 को बरकरार रखते हुए कहा कि

सारतः, यह प्रविष्टि 82, सूची I के लिए संदर्भित था, जो सारतः आय पर कर था। विशेष रूप से, श्री भूषण ने कानून के इस कथन पर भरोसा किया कि चूंकि संसद को संविधान के अनुच्छेद 246 (1) और (3) के तहत, सूची I में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति है, यदि संसद का कोई अधिनियम संघ सूची में प्रविष्टि द्वारा पूरी तरह से शामिल है, तो उसके संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति में कोई प्रतिबंध नहीं पढ़ा जा सकता है। यह एक कराधान प्रविष्टि के संदर्भ में किया गया था, जो जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ 74 में ही कहा गया है, संवैधानिक योजना को संदर्भित करता है जो कर के विषयों को केंद्र और राज्यों के बीच बड़े करीने से विभाजित करता है, ताकि कोई अतिव्यापी नहीं कहा जा सके। आकस्मिक खाई खोदने और खाली पड़े क्षेत्र के संदर्भ में संसदीय सर्वोच्चता के इस अनुच्छेद में कोई चर्चा नहीं है। इसलिए, यह निर्णय मामले को बहुत आगे नहीं ले जाता है।

28. जहाँ तक अनुच्छेद 246 का संबंध है, हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे उक्त अनुच्छेद संघीय सर्वोच्चता को संदर्भित करता है।

संघ सूची प्रविष्टि की तुलना में राज्य सूची प्रविष्टि का संबंध है। एक बार जब दोनों प्रविष्टियों के क्षेत्रों को चित्रित कर दिया जाता है, तो पीठ और पदार्थ का सिद्धांत यह परीक्षण करने के लिए आता है कि क्या कोई विशेष

कानून, समग्र रूप से, सूची I में एक प्रविष्टि या सूची II में प्रतिस्पर्धी प्रविष्टि के लिए संदर्भित है। एक बार जब यह पाया जाता है कि समग्र रूप से कानून सूची I में एक प्रविष्टि के लिए संदर्भित है, लेकिन यह संयोग से सूची II में एक प्रविष्टि पर अतिक्रमण करता है, तो संघीय कानून पर अप्रयुक्त क्षेत्र के सिद्धांत को लागू नहीं करने का कोई कारण नहीं है। अभिव्यक्ति "के संबंध में" सभी में दिखाई देती है अनुच्छेद 246 के उप-अनुच्छेद, जहां तक उप-अनुच्छेद (1) से (3) का संबंध है, आकस्मिक खाई खोदने और खाली क्षेत्र के दोहरे सिद्धांतों को लागू करते हैं, जो इसलिए अनुच्छेद 246 के उप-अनुच्छेद (1) से (3) के तहत बनाए गए विधान पर लागू होते हैं, इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि संसद द्वारा आकस्मिक अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है जब विशेष रूप से

राज्य विधानमंडल को आवंटित क्षेत्र खाली नहीं है।

29. अनुच्छेद 246 में निहित सर्वोपरि सिद्धांत, जैसा कि हमने देखा है, केवल एक अंतिम उपाय के रूप में लिया जाता है जब सामंजस्यपूर्ण निर्माण विफल हो जाता है, और वह भी, प्रतिस्पर्धी सूचियों में प्रविष्टियाँ। एक बार जब कानून एक या दूसरी सूची के लिए संदर्भित हो जाता है, तो आकस्मिक खाई और खाली क्षेत्र का सिद्धांत संसदीय और राज्य दोनों विधानों पर समान रूप से लागू होगा। संघीय न्यायालय के पहले फैसले में, मोटर स्पिरिट और स्नेहक कराधान अधिनियम, 1938 की रे सीपी और बरार बिक्री में जयंत वर्मा और ओआरएस।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]1939 31 में एफ. सी. 1, जे. जयकर ने उन सिद्धांतों को निर्धारित किया जो प्रिवी काउंसिल द्वारा ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम के आधार पर विकसित किए गए थे, जो

डी की धारा 100 के निर्माण के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शक साबित होता है

भारत सरकार अधिनियम, 1935, जो संविधान के अनुच्छेद का अग्रदूत था। इन सिद्धांतों को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया गया थाः

" (1) कि भारत सरकार जैसे अधिनियम के प्रावधान

अधिनियम, 1935 में संकीर्ण और तकनीकी कटौती नहीं की जानी चाहिए।

निर्माण, लेकिन, विषयों के परिमाण को देखते हुए

जिसे यह बहुत कम शब्दों में निपटाने का इरादा रखता है, एक दिया जाना चाहिए

विशाल और उदार व्याख्या, ताकि केंद्र सरकार,

कुछ निश्चित सीमाएँ, उनकी मालकिन हैं। हेनरीटा मुइर को देखें एडवर्ड्स बनाम। अटॉर्नी-कनाडा के लिए जनरल (1930 ए. सी. 124 136 पर)

और 137)।

(2) इस संदर्भ में हमारे सामने की तरह एक पूछताछ में, न्यायालय को इसकी वास्तविक प्रकृति और चरित्र का पता लगाना चाहिए।

337 पर ए. सी. 328)। (3) जहाँ एक विधानमंडल में निहित एक पूर्ण अधिकार क्षेत्र है,

इसके द्वारा प्रख्यापित कानूनों को उचित के अनुसार प्रभावी होना चाहिए

उस भाषा का निर्माण जिसमें वे व्यक्त की जाती हैं। लेकिन

जहाँ कानून बनाने वाला प्राधिकारी सीमित या योग्य चरित्र का है,

जाहिर है कि कुछ सख्ती के साथ जाँच करना आवश्यक हो सकता है,

निर्धारित करने के उद्देश्य से कानून का सार

यह क्या है कि विधानमंडल वास्तव में क्या कर रहा है। महान्यायवादी को देखें

ओंटारियो वी के लिए। पारस्परिक बीमाकर्ता (337 पर 1924 एसी 328)।

शक्तियों के टकराव के मामलों में केंद्रीय विधानमंडल के लिए, यह है स्पष्ट है कि, कुछ मामलों में जहां यह स्पष्ट संघर्ष मौजूद है,

विधायिका का इरादा यह नहीं हो सकता था कि विशेष रूप से शक्तियाँ

प्रांतीय विधान-मंडल को सौंपे गए कार्यों को उनमें समाहित किया जाना चाहिए

केंद्रीय विधानमंडल को दिया गया। ”

(जोर दिया गया)

इन मामलों में सिद्धांत 4 विशेष रूप से प्रासंगिक है।

30. वास्तव में, इस न्यायालय के हाल के एक फैसले में, यह वास्तव में माना गया है। यूको बैंक बनाम। दीपक देबबर्मा, (2017) 2 एस. सी. सी. 585 ने अपने न्यायालय में कहाः

" 13. संवैधानिक योजना के तहत संघीय संरचना कर सकती है

द्वारा किए गए आकस्मिक अतिक्रमण को रद्द करने के लिए भी काम करें

राज्य विधान के किसी विषय पर संसदीय विधान जहां प्रमुख विधान राज्य विधान है। उपरोक्त संवैधानिक संतुलन को अक्षुण्ण रखने और सीमित अधिकार देने का प्रयास।

संघीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के संचालन को देखा जा सकता है

आई. टी. सी. लिमिटेड बनाम में रूमा पाल, जे. के सहमत निर्णय में।

कृषि उपज बाजार समिति [आई. टी. सी. लिमिटेड बनाम। कृषि उपज बाजार समिति, (2002) 9 एस. सी. सी. 232], जिसमें एस. आर. बोम्मई बनाम में इस न्यायालय की टिप्पणियों को उद्धृत करने के बाद। भारत संघ [एस. आर. बोम्मई बनाम। भारत संघ, (1994) 3 एस. सी. सी. 1], विद्वान न्यायाधीश निम्नलिखित रूप में अवलोकन करने गए हैंः (आई. टी. सी. लिमिटेड मामला [आई. टी. सी. लिमिटेड बनाम। कृषि उपज बाजार समिति,

(2002) 9 एससीसी 232], एससीसी पी। 282 , पैरा 93-94)

राज्यों के लिए आरक्षित '। (एस. आर. बोम्मई मामला [एस. आर. बोम्मई बनाम। भारत संघ, (1994) 3 एस. सी. सी. 1], एस. सी. सी. पीपी. 216-17 , पैरा 276) 94. यद्यपि संसद राज्य सूची में किसी भी प्रविष्टि पर कानून नहीं बना सकती है, लेकिन यह संघ सूची के तहत प्रविष्टियों के भीतर अनिवार्य रूप से कानून बनाते समय संयोग से ऐसा कर सकती है। इसके विपरीत, राज्य विधानमंडल संघ सूची का अतिक्रमण कर सकते हैं, जब

अतिक्रमण केवल शक्ति के प्रयोग का सहायक है।

आंतरिक रूप से राज्य सूची के अंतर्गत। अतिक्रमण का तथ्य क्षेत्र के संबंध में भी कानून के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है।

अतिक्रमण। [ए. एस. कृष्णा बनाम मद्रास राज्य [ए. एस. कृष्णा बनाम। मद्रास राज्य, ए. आई. आर 1957 एस. सी. 297: 1957 क्रि एलजे 409];

चतुर्भुज एम. पटेल बनाम भारत संघ [चतुर्भुज एम. पटेल]

वी. भारत संघ, (1960) 2 एससीआर 362: एयर 1960 एससी 424]; राज्य जयंत वर्मा और ओआरएस।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

राजस्थान बनाम। जी. चावला [राजस्थान राज्य बनाम। जी. चावला, ए. आई. आर 1959 एस. सी. 544: 1959 क्री एलजे 660] और ईश्वरी खेतान शुगर

मिल्स (पी) लिमिटेड बनाम यू. पी. राज्य [ईश्वरी खेतान चीनी मिल (पी) लिमिटेड वी. उत्तर प्रदेश राज्य, (1980) 4 एस. सी. सी. 136] यह सिद्धांत आम तौर पर

पीठ और पदार्थ के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, इसके बराबर नहीं है

विधायी क्षेत्रों का विस्तार। इसलिए, इस तरह के आकस्मिक

किसी भी स्थिति में अतिक्रमण राज्य विधानमंडल को वंचित नहीं करता है

पहले मामले में या दूसरे में संसद, उनके अनन्य इस तरह से अतिक्रमण किए गए प्रवेश के तहत शक्तियाँ। इस घटना में

वास्तव में अधिनियमित कानून के साथ आकस्मिक अतिक्रमण संघर्ष प्रमुख शक्ति द्वारा, प्रमुख कानून प्रबल होगा। ”

(जोर दिया गया)

14. रूमा पाल के सहमत निर्णय में उपरोक्त दृष्टिकोण,

जे. आई. टी. सी. लिमिटेड बनाम कृषि उपज बाजार समिति [आई. टी. सी.

लिमिटेड वी. कृषि उपज बाजार समिति (2002) 9 एस. सी. सी.

विशाल एन. कलसरिया बनाम में यह न्यायालय। बैंक ऑफ इंडिया [विशाल एन. कलसरियाव। बैंक ऑफ इंडिया (2016) 3 एस. सी. सी. 762: (2016) 2 एससीसी

((ग) 452], जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि

2002 अधिनियम का प्रावधानों पर कोई प्रबल प्रभाव नहीं पड़ेगा

राज्य किराया नियंत्रण अधिनियम "।

इस न्यायालय ने तब यह निर्णय दिया कि प्रतिभूतिकरण के बीच

और वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी), जिसे प्रविष्टि 45, सूची I और त्रिपुरा भूमि राजस्व और सुधार अधिनियम, 1960 के तहत अधिनियमित किया गया था, जो सूची II की प्रविष्टि 18 के लिए संदर्भित है, सरफेसी त्रिपुरा अधिनियम की धारा 187 (जो बैंकों को अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरवी रखी गई संपत्ति को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित करती है) के बाद से प्रभावी होगा। अनुसूचित जनजाति के सदस्य के अलावा), एक ऐसा प्रावधान है जो प्रविष्टि 18, सूची 2 से बाहर है और इसलिए, प्रविष्टि 45, सूची 1 पर संयोग से खाई है। मामले के तथ्यों पर, इसलिए, यह पाया गया कि चूंकि संसद द्वारा प्रविष्टि 45, सूची 1 और सरफेसी

अधिनियम के तहत कानून बनाया गया था, जो विशेष रूप से बैंकों द्वारा सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री से संबंधित गतिविधियों से संबंधित था, इसलिए त्रिपुरा अधिनियम की धारा 187, जिस हद तक यह सरफेसी अधिनियम के साथ असंगत है, उसे छोड़ देना चाहिए।

31. यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त का अनुच्छेद 12

निर्णय संविधान पीठ के फैसले [2018] 2 एस. सी. आर. के पैराग्राफ 13 से 15 को निर्धारित करता है।

2001 के विशेष संदर्भ संख्या 1 (2004) 4 एस. सी. सी. 489.7 में श्री भूषण ने इस निर्णय के पैराग्राफ 15 पर दृढ़ता से भरोसा किया। यह स्पष्ट है कि पूरी चर्चा पैराग्राफ 13 से शुरू होती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि एक सूची में प्रविष्टि की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि दूसरी सूची में की गई दूसरी प्रविष्टि को रद्द या मिटा दिया जाए और एक स्पष्ट संघर्ष की स्थिति में, दोनों प्रविष्टियों में सामंजस्य स्थापित करना न्यायालय का प्राथमिक कर्तव्य है। यह केवल तभी होगा जब दो विधानों के बीच एक अपरिवर्तनीय संघर्ष होगा कि केंद्रीय विधान प्रबल होगा। विशेष संदर्भ संख्या 1 (उपर्युक्त) में संविधान पीठ के फैसले के पैराग्राफ 15 में निहित कानून के इस कथन को ध्यान में रखने के बाद, पैराग्राफ 13 और 14 में आकस्मिक अतिक्रमण पर चर्चा, जिसका यहाँ ऊपर उल्लेख किया गया है, निम्नलिखित हैः

यूको बैंक (ऊपर) में न्यायालय। इसलिए यूको बैंक (ऊपर) के पैराग्राफ 13 और 14 में जो कहा गया है, उसे नकारने के लिए विशेष संदर्भ संख्या 1 (ऊपर) में पैराग्राफ 15 के उत्तरार्ध पर श्री भूषण की निर्भरता में कोई दम नहीं है।

32. इस निर्णय को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि राज्य ऋण राहत अधिनियम के दृष्टिकोण से, जैसा कि कानून संदर्भित है -

प्रविष्टि 30, सूची 2 के तहत अधिनियमित, जहां तक कृषि ऋण की राहत का संबंध है, जहां एक ही विषय पर राज्य कानून है 7 इस मामले में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ को यह निर्णय लेना था कि क्या गुजरात का एक क़ानून, जिसमें "गैस" को मुख्य रूप से मीथेन गैस के रूप में परिभाषित किया गया है, राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। प्रतियोगी प्रविष्टियाँ थीं प्रविष्टि 53, सूची I और प्रविष्टि 25, सूची II। प्रविष्टि 53, सूची I, अन्य बातों के साथ-साथ, पेट्रोलियम से संबंधित थी, जबकि प्रविष्टि 25, सूची II गैस और गैस के कार्यों से संबंधित थी। संविधान पीठ ने विचार करने में बहुत विस्तार किया

विभिन्न अधिनियमों, निर्णयों और शब्दकोशों सहित अन्य प्राधिकरणों ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्राकृतिक गैस "पेट्रोलियम" की परिभाषा के भीतर आती है, और आगे यह कि प्रविष्टि 25, सूची II में केवल विनिर्मित गैस का उल्लेख किया गया है, जैसा कि "गैस कार्य" अभिव्यक्ति से स्पष्ट है, जिसे "कृत्रिम गैस के निर्माण के लिए एक संयंत्र" के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान पीठ ने फैसले के पैराग्राफ 43 में यह संकेत देने में सावधानी बरती कि प्रविष्टि 25, सूची 2 को "बेकार लकड़ी" तक सीमित नहीं किया जाएगा, जैसा कि राज्यों द्वारा आशंका जताई गई थी, क्योंकि प्राकृतिक गैस को कभी भी उस प्रविष्टि के दायरे में लाने का इरादा नहीं था, जिसे गैस कार्यों में निर्मित और उपयोग की जाने वाली गैस को शामिल करके पूर्ण प्रभाव दिया जाता है।

जहां तक बैंकों के कारण कृषि ऋण से राहत का संबंध है, जो सीधे धारा 21 ए, धारा 21 ए से टकराता है, उसे राज्य ऋण राहत अधिनियमों को रास्ता देना होगा। इस स्थिति में धारा 21 ए में गैर-बाध्यकारी खंड राज्य ऋण राहत अधिनियम को ओवरराइड नहीं कर सकता है, क्योंकि संसद राज्य के विधान पर खुद को सर्वोच्चता नहीं दे सकती है जहां संविधान के तहत कोई भी मौजूद नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता, तो सूची II के भीतर कानून बनाने की राज्यों की अनन्य शक्ति भ्रामक हो जाएगी, और "संसदीय सर्वोच्चता" अपने अनन्य अधिकार क्षेत्र के भीतर बनाए गए कई लाभकारी राज्य कानूनों को फँसा देगी, जो प्रफुल्ल कुमार (उपरोक्त) में प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित कानून के बयान के विपरीत है, और जे. जयकर द्वारा निर्धारित सिद्धांत (4) के विपरीत है।

बिक्री (उपर्युक्त), जिनका इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा लगातार पालन किया गया है।

33. वास्तव में, सूची II में प्रविष्टियों को पढ़ने से पता चलता है कि सूची II में कुछ प्रविष्टियां सूची I और III में प्रविष्टियों के अधीन हैं।

ये नीचे दिए गए हैं:

" 2. पुलिस (रेलवे और ग्राम पुलिस सहित)

सूची I की प्रविष्टि 2-ए के प्रावधान।

13. संचार, अर्थात सड़कें, पुल, घाट और संचार के अन्य साधन जो सूची I में निर्दिष्ट नहीं हैं; नगरपालिका ट्रामवे; रोपवे; अंतर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात, सूची I और सूची III के प्रावधानों के अधीन

जलमार्ग; यांत्रिक रूप से संचालित वाहनों के अलावा अन्य वाहन।

17. जल, अर्थात जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी और तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति। सूची I की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन।

22. सूची I की प्रविष्टि 34 के प्रावधानों के अधीन वार्डों के न्यायालय; भारित और संलग्न संपदाएँ।

23. विनियमन और विकास के संबंध में सूची I के प्रावधानों के अधीन खानों और खनिज विकास का विनियमन

संघ के नियंत्रण में।

24. सूची की प्रविष्टियाँ 7 और 52 के प्रावधानों के अधीन उद्योग

आई. 26. सूची III की प्रविष्टि 33 के प्रावधानों के अधीन राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य।

27. के अधीन वस्तुओं का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण सूची III की प्रविष्टि 33 के प्रावधान।

33. थिएटर और नाटकीय प्रदर्शन; सिनेमा के अधीन

सूची I की प्रविष्टि 60 के प्रावधान; खेल, मनोरंजन और

मनोरंजन। 37. प्रावधानों के अधीन राज्य के विधानमंडल के लिए चुनाव

संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून का।

57. वाहनों पर कर, चाहे वे यांत्रिक रूप से चलने वाले हों या नहीं, ट्रामकार सहित सड़कों पर उपयोग के लिए उपयुक्त

सूची III की प्रविष्टि 35 के प्रावधान।

34. संख्यात्मक रूप से, यह राशि इसके एक-पाँचवें हिस्से से थोड़ी अधिक होगी।

सूची II में प्रविष्टियों की संख्या-66 में से 12।

35. प्रविष्टि 12 जैसी कुछ प्रविष्टियाँ राज्य सूची से बाहर हैं।

एन. टी., ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख जिन्हें ए. एम. टी. द्वारा राष्ट्रीय महत्व के कानून द्वारा घोषित किया गया है। सूची II की प्रविष्टि 12 इस प्रकार है

:

" 12. पुस्तकालय, संग्रहालय और इसी तरह के अन्य संस्थान नियंत्रित हैं।

या राज्य द्वारा वित्तपोषित; प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और

संसद राष्ट्रीय महत्व की होगी। राज्यों की विधायी शक्ति का एक और वर्णन है -

सूची II की प्रविष्टियाँ 32 और 63 द्वारा, जो किसी विशेष विषय की बात करती हैं

जब एक अवशिष्ट शक्ति को सूची I में निर्धारित नहीं किए गए मामलों पर एक ही विषय का अधिकार दिया जाए।

" 32. निगमों का निगमन, विनियमन और समापन, अन्य

सूची I और विश्वविद्यालयों में निर्दिष्ट लोगों की तुलना में; अनिगमित

व्यापार, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य समाज और

संघ; सहकारी समितियाँ।

63. इनके अलावा अन्य दस्तावेजों के संबंध में मुद्रांक शुल्क की दरें

डाक टिकट की दरों के संबंध में सूची I के प्रावधानों में निर्दिष्ट

कर्तव्य "। 8

✓ 32 , सूची II को सूची I की प्रविष्टियों 43 और 44 के साथ पढ़ा जाना है और प्रविष्टि 63, सूची II को प्रविष्टि 91, सूची जयंत वर्मा और ओआरएस के साथ पढ़ा जाना है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

36. राज्य सूची की अन्य सभी प्रविष्टियाँ राज्यों को उसमें उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति देती हैं। यदि श्री

कानून को राज्य के एक विशेष क्षेत्र पर आक्रमण करना था, और राज्यों की विशेष शक्तियों के भीतर बनाए गए राज्य के कानून पर हावी होना था, सूची II की सभी प्रविष्टियों को सूची I की प्रविष्टियों के अधीन किया जाएगा, जो संवैधानिक योजना नहीं है। इसके अलावा, केवल एक प्रविष्टि, अर्थात् सूची II की प्रविष्टि 12, विशेष रूप से प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों को छोड़कर और अभिलेख, यदि संसद उन्हें कानून द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है। इसलिए यह तर्क कि धारा 21 ए संसद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई है और राष्ट्रीय महत्व की है और इसलिए यह प्रबल होना चाहिए।

सूची के अनन्य विषयों के भीतर बनाए गए राज्य विधान पर

II, फिर से संवैधानिक योजना के खिलाफ होगा, क्योंकि सूची II की सभी प्रविष्टियां तब संसदीय कानून के अधीन होंगी, जो राष्ट्रीय महत्व की है। इसके अलावा, प्रविष्टि 30, सूची II को राहत के संदर्भ में नहीं पढ़ा जा सकता है सूची I में जो निर्दिष्ट किया गया है, उसके अलावा कृषि ऋण, जैसा कि प्रविष्टि 30 शब्दों में पढ़ा जाएगा जो उनके द्वारा विशिष्ट हैं

अनुपस्थिति, लेकिन जो प्रविष्टियाँ 32 और 63, सूची II में पाए जाते हैं। यह सब दिखाता है कि राज्यों के पास विशिष्ट विधायी क्षमता है

सूची II की कुछ प्रविष्टियों के तहत, उसके तहत बनाए गए कानून को सूची I के तहत बनाए गए कानून द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है, जो संयोग से एक विशेष शक्ति के तहत बनाए गए राज्य के कानून पर खाई डालता है। 37. हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे कृषि को एक विषय के रूप में अपने सभी पहलुओं में पूरी तरह से और विशेष रूप से राज्यों पर छोड़ दिया जाता है।

प्रविष्टि 41, सूची III के तहत निकासी संपत्ति को छोड़कर, जो राज्यों के लिए भी छोड़ी गई है, लेकिन संसद के साथ समवर्ती रूप से, विशेष रूप से उसमें कृषि भूमि सहित। इसके अलावा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि श्री श्री शिब्बन लाल सक्सेना द्वारा मसौदा प्रविष्टि 34 (सूची II की प्रविष्टि 30), एक समवर्ती विषय बनाने के लिए सुझाए गए संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया था। कोई भी तर्क जो कृषि ऋण से राहत देने का प्रभाव डालता है

समवर्ती विषय जिसके द्वारा संसदीय विधान राज्य के विधान को हटा देता है, इसलिए इसे भी अस्वीकार किया जाना चाहिए।

38. इसका मतलब यह नहीं है कि जहां तक बैंकों के कृषि ऋण से राहत का संबंध है, संसद असहाय है। संविधान का अनुच्छेद 249

संविधान संसद को राष्ट्रीय हित में उपरोक्त विषय पर कानून बनाने में सक्षम बनाता है यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव द्वारा घोषणा करती है कि यह [2018] 2 एस. सी. आर. है।

एक विशेष राज्य विषय पर कानून बनाना। आपात स्थिति में, संसद, अनुच्छेद 250 के तहत, सूची II के तहत राज्यों के लिए विशेष रूप से आरक्षित मामलों पर कानून बना सकती है। इस मामले में, हमें अनावश्यक रूप से तौला जाने की आवश्यकता नहीं है श्री भूषण के इस तर्क से कि जब तक हम उनकी दलील को स्वीकार नहीं करते, संसद को पूरी तरह से विधायी क्षमता से वंचित कर दिया जाएगा

कृषि क्षेत्र से बैंकों को देय ऋणों के खिलाफ राहत के विषय से निपटें।

39. अगला महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यासंगी वेंकटेश्वर राव (उपरोक्त) मामले में इस अदालत का फैसला इस पर बाध्यकारी है। पीठ को इस न्यायालय की एक अन्य पूर्व 2-न्यायाधीश पीठ द्वारा वितरित किया गया था।

40. इस प्रश्न के उत्तर की सराहना करने के लिए, यह आवश्यक है

बैंकिंग विनियमन अधिनियम और धारा 21 ए के दायरे को स्थापित करने के बाद, धारा 21 ए ए. पी. कृषि राहत के विपरीत थी। अधिनियम, 1938 और यह अभिनिर्धारित किया गया कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 21 ए का उद्देश्य, संचालन और प्रभाव दूर से भी नहीं है।

ए. पी. कृषि राहत अधिनियम के उद्देश्य, संचालन और प्रभाव से संबंधित, जिसे राहत देने के लिए अधिनियमित एक विशेष कानून माना गया था।

कृषक ऋणी। यह भी माना गया कि अत्यधिक ब्याज वसूलना अब ए. पी. कृषि राहत अधिनियम का हिस्सा नहीं था, और इसलिए, दोनों प्रावधानों के क्षेत्र पूरी तरह से अलग थे। विधायी क्षमता पर आते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने संघीय न्यायालय, उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय के कई निर्णयों पर विचार करते हुए बहुत विस्तार से विचार किया और अंततः यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 21 ए प्रविष्टि 45, सूची I के लिए संदर्भित कानून नहीं है। विद्वान न्यायाधीश ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि धारा 21 ए मनमाना थी और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती थी।

41. यासंगी वेंकटेश्वर राव (ऊपर) में एक संक्षिप्त निर्णय द्वारा, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के विस्तृत फैसले को इस प्रकार उलट दियाः

जयंत वर्मा और हमारा। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 7. हम यह समझने में असमर्थ हैं कि उच्च न्यायालय कैसे कर सकता है।

इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संसद को अधिनियम बनाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था

धारा 21-ए। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि धारा 21-ए संबंधित है।

ब्याज की दर के सवाल के साथ जो इसके द्वारा ली जा सकती है

स्पष्ट रूप से संसद को बैंकिंग के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। धारा 21-ए का अधिनियमन स्पष्ट रूप से निम्नलिखित के दायरे में थाः

संसद। उक्त धारा सभी प्रकार के ऋणों पर लागू होती है जो

एक बैंकिंग कंपनी द्वारा दिए जाते हैं, चाहे वह एक कृषक को हो या

एक गैर-कृषक, और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा सूची II की प्रविष्टि 30 का कोई परिणाम नहीं था। हमारी राय में,

धारा 21-ए को वैध रूप से अधिनियमित किया गया था।

(
पृष्ठ 377 पर)

पहली बार में, ऐसा लगता है कि, हालांकि गुप्त, उक्त अनुच्छेद

इसमें उच्च न्यायालय के फैसले को परेशान करने के कारण शामिल हैं। लेकिन, करीब से देखने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि नाम के लायक कोई तर्क नहीं है

ऐसा करने के लिए। पैराग्राफ 7 समर्थन में किसी भी स्पष्ट तर्क के बिना एक साथ रखे गए निष्कर्षों की एक श्रृंखला है। ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि केवल अपीलार्थी के लिए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अदालत के समक्ष उपस्थित हुए और अपीलार्थी की ओर से मामले में बहस की। प्रतिवादी, हालांकि संभवतः सेवा में था, उपस्थित नहीं हुआ और परिणामस्वरूप उसे नहीं सुना गया। यह भी ध्यान दिया जाएगा कि इस तथ्य के बावजूद कि एकल न्यायाधीश के फैसले में बहुत बड़ी संख्या में उच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय, प्रिवी काउंसिल और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का उल्लेख किया गया है, यहाँ ऊपर दिए गए गुप्त पैराग्राफ 7 में एक भी फैसले का उल्लेख नहीं किया गया है। क्या यह कहा जा सकता है कि यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत कानून की घोषणा है, जो व्यवहार के मामले में हम समन्वय शक्ति की पीठ होने से अलग नहीं हो सकते हैं?

42. इस प्रश्न का उत्तर आधिकारिक कार्यों का उल्लेख करके दिया जाता है।

और इस न्यायालय के निर्णय। क्रॉस और हैरिस द्वारा अंग्रेजी कानून में पूर्ववर्ती (चौथा संस्करण) में, 'अनुपात निर्णय' का वर्णन इस प्रकार किया गया हैः

" किसी मामले का अनुपात निर्णय स्पष्ट रूप से कानून का कोई भी नियम है या न्यायाधीश द्वारा निहित रूप से अपने तक पहुँचने के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में माना जाता है

निष्कर्ष, उसके द्वारा अपनाई गई तर्क की रेखा को ध्यान में रखते हुए,

या जूरी को उसके निर्देश का एक आवश्यक हिस्सा।

(पृष्ठ 72 पर)

43. दलबीर सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1979) 3 एस. सी. आर. 1059-1074, ए. पी. सेन, जे. का एक असहमत निर्णय यह निर्धारित करता है कि निर्णय का निर्णय क्या हैः

" पूर्ववर्ती के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक निर्णय में तीन बुनियादी तत्व होते हैंः ((i) प्रत्यक्ष और अनुमानित भौतिक तथ्यों के निष्कर्ष। तथ्यों का एक अनुमानित निष्कर्ष वह निष्कर्ष है जो न्यायाधीश प्रत्यक्ष या बोधगम्य तथ्यों से निकालता है।

((ii) कानून पर लागू होने वाले कानून के सिद्धांतों के विवरण।

तथ्यों द्वारा प्रकट की गई समस्याएं; और

घटक (iii) इसके लिए निर्णय में भौतिक तत्व है। अंत में उनके अधिकारों और देनदारियों को निर्धारित करता है

विषय-कार्रवाई का विषय। यह वह निर्णय है जो पक्षों को विवाद को फिर से खोलने से रोकता है। हालांकि, पूर्ववर्ती सिद्धांत के उद्देश्य के लिए, घटक (ii) निर्णय में महत्वपूर्ण तत्व है। यह वास्तव में अनुपात का निर्धारण है। [आर. जे. वॉकर और एम. जी. वॉकरः अंग्रेजी कानूनी प्रणाली। बटरवर्थ्स, 1972, तीसरा संस्करण। , पीपी। 123-24] यह सब कुछ नहीं है जो एक न्यायाधीश द्वारा निर्णय देते समय कहा जाता है जो एक मिसाल है। एक पक्ष को बाध्य करने वाले न्यायाधीश के निर्णय में एकमात्र चीज वह सिद्धांत है जिस पर मामले का निर्णय लिया जाता है और इस कारण से इसका विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

निर्णय लें और उससे अनुपात को अलग करें। क्रालकास्ट (वोल्वरहैम्प्टन) लिमिटेड के प्रमुख मामले में v. हेन्स [एलआर 1959 एसी 7] 43 : (1959) 2 सभी ई. आर. 38] यह निर्धारित किया गया था कि अनुपात तय करता है

कानूनी पर लागू कानून के बयान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है

तथ्यों द्वारा उठाई गई समस्याएं, जिन पर निर्णय लिया जाता है

आधारित है। निर्णय में अन्य दो तत्व नहीं हैं पूर्ववर्ती। निर्णय बाध्यकारी नहीं है (सीधे पक्षकारों को छोड़कर), और न ही तथ्यों के निष्कर्ष हैं। इसका मतलब यह है कि जहां भी पहले के मामले के प्रत्यक्ष तथ्य स्पष्ट प्रतीत होते हैं

अदालत के समक्ष मामले के अनुसार, न्यायाधीश बाध्य नहीं है

वही निष्कर्ष निकालना जो पहले के मामले में निकाला गया था। जयंत वर्मा और हमारा।

इसी तरह, यह न्यायालय सोम प्रकाश रेखी बनाम. भारत संघ 1) 2 एस. सी. आर. 111 139 में सुभाजीत तिवारी बनाम में "संक्षिप्त चर्चा और सीमित" का उल्लेख किया गया है। भारत संघ (1975) 3 एससीआर 616, एयह इस न्यायालय की संविधान पीठ का सदस्य नहीं था और इससे बाध्य नहीं था।

ना अय्यर, जे. ने इसे इस प्रकार रखाः

" हम सबसे पहले सुभाजीत तिवारी बनाम के बारे में बात कर सकते हैं। भारत संघ

(1975) 3 एस. सी. आर. 616, जहाँ सवाल उठाया गया था कि क्या C.S.I.R। (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद) कला के तहत 'राज्य' था। 12. आई. डी. 1. एक पंजीकृत सोसायटी है जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त आधिकारिक और गैर-आधिकारिक सदस्य होते हैं और यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सरकार द्वारा कुछ हद तक नियंत्रण के अधीन होती है। अदालत ने माना कि यह 'राज्य' नहीं था जैसा कि कला में परिभाषित किया गया है। 12. यह महत्वपूर्ण है कि अदालत ने इस प्रस्ताव पर स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की कि यदि समाज वास्तव में सरकार की एक एजेंसी होती तो यह 'राज्य' होता। लेकिन वहाँ मौजूद तथ्यों और विशेषताओं पर सरकार की एजेंसी का चरित्र था

नकारात्मक। दुर्भाग्य से, जिन फैसलों पर भरोसा किया गया है, वे कला प्रांत में हैं। 311 और यह स्पष्ट है कि एक निकाय भाग III के तहत 'राज्य' हो सकता है लेकिन भाग XIV के तहत नहीं। रे, सी. जे. ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि केवल इसलिए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे या कि अन्य सदस्यों को सरकार द्वारा नियुक्त और हटा दिया गया था, सोसायटी को 'राज्य' नहीं बना दिया। बड़े सम्मान के साथ, हम इस बात से सहमत हैं कि हवाई अड्डे में विस्तृत अन्य सुविधाओं के अभाव में

प्राधिकरण मामला (1979) 3 एस. सी. सी. 489, की संरचना

अकेले शासी निकाय निर्णायक नहीं हो सकता है। संक्षिप्त चर्चा और तिवारी (ऊपर) में सीमित अनुपात शायद ही किसी भी पक्ष की मदद करता है

यहाँ "।

इसके अलावा, नगर निगम में। दिल्ली बनाम। वर्णम कौर, (1989) 1

101 110 पर, इस न्यायालय ने कहाः

" 11. कानून की घोषणाएँ, जो अनुपात निर्णय का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें आज्ञाकारी आदेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और आधिकारिक नहीं होते हैं। जामना दास मामले में आदेश पारित करने वाले विद्वान न्यायाधीश के प्रति पूरे सम्मान के साथ [रिट याचिका संख्या। 981-82 और 1984 के विद्वान न्यायाधीश के लिए जो उनसे सहमत थे, हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि यह न्यायालय इसका पालन करने के लिए बाध्य है। यह बिना किसी तर्क के दिया गया था,

नगर निगम को [2018] 2 एस. सी. आर. को हटाने के लिए व्यक्त शक्ति प्रदान करने वाले अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ के बिना।

फुटपाथ या सार्वजनिक जैसे किसी भी सार्वजनिक स्थान से अतिक्रमण

सड़कें, और बिना किसी अधिकार के। तदनुसार, हम करते हैं

उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि, यह

हमें लगता है कि यह सिद्धांत रूप में गलत है और इसके द्वारा उचित नहीं ठहराया जा सकता है

सुसंगत प्रावधानों की शर्तें। निर्णय लिया जाना चाहिए।

सवाल यह है कि क्या कोई निर्देश ठीक से दिया जा सकता है या नहीं। नगर निगम को एक स्टाल बनाने के लिए मजबूर करना

एक फुटपाथ स्केटर की पिचिंग साइट "।

(जोर दिया गया)

इसके अलावा, एम. पी. बनाम राज्य में। नर्मदा बचाओ आंदोलन (2011)

7 एस. सी. सी. 639 679-680 पर कहा गया थाः

" 65. " इनक्यूरिया का शाब्दिक अर्थ है लापरवाही। व्यवहार में प्रति

इनक्यूरियम का अर्थ प्रति अज्ञान माना जाता है। अदालतों ने

इस सिद्धांत को टकटकी निर्णय के नियम की छूट में विकसित किया। इस प्रकार, "कानून में उद्धरण" से बचा जाता है और अगर इसे प्रस्तुत किया जाता है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है।

किसी कानून या अन्य बाध्यकारी प्राधिकरण की अज्ञानता में।

XXX XXX XXX

67. इस प्रकार, "पर इनक्यूरियम" वे निर्णय हैं जो अज्ञानता में दिए जाते हैं।

या कुछ वैधानिक प्रावधान या बाध्यकारी प्राधिकरण को भूल जाना संबंधित न्यायालय पर, या इसके कारण कानून का बयान

असावधानी या निष्कर्ष जो इसके बिना आया है

बिना किसी कारण के मन का प्रयोग या आगे बढ़ना ताकि

ऐसा मामला निर्णय का कुछ हिस्सा या तर्क में कुछ कदम

जिस पर यह आधारित है, पाया जाता है, उस खाते पर स्पष्ट रूप से पाया जाता है

गलत है।

अतः यह स्पष्ट है कि जहां किसी मामले पर बहस नहीं की जाती है

प्रत्यर्थी, और निर्णय पलटने वाला है, यह कहना खतरनाक होगा कि कानून को तथ्यों और कानून के एकतरफा मूल्यांकन पर घोषित किया जा सकता है, जैसा कि केवल अपीलार्थी के वकील द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा, जहां कई प्राधिकरणों से निपटने के लिए उच्च न्यायालय का एक विस्तृत निर्णय है, और उनमें से किसी के साथ व्यवहार किए बिना इसे एक गुप्त तरीके से उलट दिया जाता है, तो प्रति इनक्यूरियम सिद्धांत शुरू हो जाता है, और निर्णय बाध्यकारी बल खो देता है, क्योंकि जयंत वर्मा और ओआरएस में तरीका है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

जो विचाराधीन कानून के प्रस्ताव से संबंधित है। इसके अलावा, किसी निर्णय का अनुपात निर्णय न्यायाधीश के तर्क की रेखा को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया कानून का सिद्धांत है जो केवल भविष्य के मामलों में बाध्य करता है। इस तरह के सिद्धांत को केवल प्रासंगिक प्रावधानों और विषय पर मामले के कानून की चर्चा के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। यदि केवल एक पक्ष की सुनवाई की जाती है और किसी भी तर्क के बिना एक निर्णय को उलट दिया जाता है, और किसी भी मामले के कानून के संदर्भ के बिना अकेले कुछ निष्कर्षों पर पहुंचा जाता है, तो यह मानना मुश्किल होगा कि ऐसा निर्णय हम पर बाध्यकारी होगा और हमें इसका पालन करना होगा। इन परिस्थितियों में हम राय है कि यासंगी वेंकटेश्वर राव (ऊपर) का निर्णय हमें इस विषय पर कानून बनाने के हमारे कार्य में रोक नहीं सकता है।

44. हमारे द्वारा जो रखा गया है, उसे देखते हुए, यह हमारे लिए आवश्यक नहीं है

अनुच्छेद 14 से संबंधित तर्कों में जाने के लिए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत संघ और भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से पेश वकील यह कहने में सही हैं कि नाम के लायक कोई अभिवचन नहीं है जो तथ्यों पर, बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 21 ए से जुड़ी संवैधानिकता की धारणा का खंडन करेगा। आर. बी. आई. के परिपत्रों और वर्तमान रिट याचिका में दायर जवाबी हलफनामों के संदर्भ

फिर से हमें बहुत आगे न ले जाएँ, क्योंकि जो तय किया जाना है वह विशुद्ध रूप से विधायी क्षमता का सवाल है।

निष्कर्ष

45. हम बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 21 ए को वैध घोषित करते हैं क्योंकि यह एक ऐसे अधिनियम का हिस्सा है जो सार और सार में संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 45, सूची I से संबंधित है। हालांकि, जहां तक प्रविष्टि 30, सूची 2 में उल्लिखित कृषि ऋण राहत के क्षेत्र में संयोग से धारा 21 ए का अतिक्रमण है, यह केवल उन राज्यों में लागू नहीं होगा जहां राज्य ऋण राहत अधिनियम है जो कृषि ऋण राहत के विषय से संबंधित है, जहां राज्य ऋण राहत अधिनियम "बैंकों" के कारण ऋणों को शामिल करता है, जैसा कि उन अधिनियमों में परिभाषित किया गया है। उन राज्यों में जहां राज्य ऋण राहत अधिनियम बैंकों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है, या केवल कुछ निर्दिष्ट बैंकों पर लागू होता है, धारा 21 ए, पूर्व स्थिति में, ऐसे राज्यों में लागू होगी, और बाद की स्थिति में, केवल किसानों को दिए गए ऋणों के संबंध में लागू होगी जहां ऐसे ऋण बैंकों द्वारा दिए जाते हैं। संबंधित राज्य ऋण राहत अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट या कवर किए गए बैंकों के अलावा अन्य बैंक, जैसा भी मामला हो।

देविका गुजराल

सवाल का जवाब दिया।